

इसे वेबसाइट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in) से भी डाउन लोड किया जा सकता है।



# मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 1]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 5 जनवरी 2024—पौष 15, शक 1945

## विषय-सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट।

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं।

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं।

भाग 4.—(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम।

## भाग १

### राज्य शासन के आदेश

#### सामान्य प्रशासन विभाग

(सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ)

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 20 नवम्बर 2023

एफ-11-164-2019-सूअप्र-एक-9-918.—राज्य शासन, एतद्वारा, माननीय श्री ए. के. शुक्ला, मुख्य सूचना आयुक्त, सपत्नीक दिनांक 23 अक्टूबर, 2023 से 28 अप्रैल, 2023 तक, भोपाल से जगन्नाथपुरी (उड़ीसा) वाया-दिल्ली-कटक जाने एवं आने हेतु कैलेण्डर वर्ष 2023 की एल. टी. सी. एवं दिनांक 23, 26 एवं 27 अक्टूबर, 2023 को तीन दिवस के आकस्मिक अवकाश के साथ उक्त अवधि की एल. टी. सी. के सह प्रयोज्य "10 दिवस के अर्जित अवकाश नगदीकरण" का (छठवीं बार) लाभ लिये जाने की स्वीकृति / अनुमति प्रदान की जाती है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
शैलबाला ए. मार्टिन, अपर सचिव।

#### गृह विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 22 दिसम्बर 2023

संशोधित आदेश

क्र. एफ.-1(ए) 90-2008-ब-2-दो.—राज्य शासन, एतद्वारा, श्रीमती रूचिवर्धन मिश्र, भापुसे, पुलिस उप महानिरीक्षक (प्रशासन), पु. मु., भोपाल को दिनांक 2 जनवरी से 29 जून 2024 तक, एक सौ अस्सी दिवस प्रसूति अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्रीमती रूचिवर्धन मिश्र, भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न पुलिस उप महानिरीक्षक (प्रशासन), पु. मु., भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्रीमती रूचिवर्धन मिश्र, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती रूचिवर्धन मिश्र, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर बनीं रहतीं.

भोपाल, दिनांक 26 दिसम्बर 2023

क्र. एफ 1 (ए) 123-2016-ब-2-दो.—राज्य शासन, एतद्द्वारा, श्री महेश चन्द्र जैन, भापुसे, उप पुलिस महानिरीक्षक, होमगार्ड/एस. डी. ई. आर. एफ. भोपाल को दिनांक 20 नवम्बर से 1 दिसम्बर 2023 तक, बारह दिवस अर्जित अवकाश एवं 18-19 नवम्बर व 2-3 दिसम्बर 2023 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान करता है.

(2) श्री महेश चन्द्र जैन, भापुसे, के अवकाश अवधि में उनका चालू कार्य श्री विशद तिवारी, एडीशनल कमाण्डेण्ट जनरल, होमगार्ड, मध्यप्रदेश, जबलपुर द्वारा अपने कार्य के साथ-साथ सम्पादित किया जावेगा.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री महेश चन्द्र जैन, भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न उप पुलिस महानिरीक्षक, होमगार्ड/एस. डी. ई. आर. एफ. भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री महेश चन्द्र जैन, भापुसे, द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण करने पर उक्त कण्डिका (2) में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव कार्यभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्री महेश चन्द्र जैन, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री महेश चन्द्र जैन, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

क्र. एफ 1 (ए) 133-2017-ब-2-दो.—राज्य शासन, श्री मनीष कुमार अग्रवाल, भापुसे, पुलिस उपायुक्त (यातायात), नगरीय पुलिस, जिला इन्दौर को खण्डवर्ष 2022-25 के प्रथम विस्तार वर्ष में दिनांक 28, 29, 30 नवम्बर एवं 1 दिसम्बर 2023 के आकस्मिक अवकाश एवं 26-27 नवम्बर 2023 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ उक्त अवधि में भारत भ्रमण अंतर्गत मेरठ (उत्तर प्रदेश) जाने हेतु परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ अनुमति एवं दस दिवस अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

1. श्री मनीष कुमार अग्रवाल — स्वयं
2. श्रीमती सुरभी अग्रवाल — पत्नी
3. कु. नियति अग्रवाल — पुत्री
4. श्री नमन अग्रवाल — पुत्र

(2) श्री मनीष कुमार अग्रवाल, भापुसे, के अवकाश अवधि में उनका चालू कार्य श्री निमिष अग्रवाल, भापुसे, पुलिस उपायुक्त (अपराध), नगरीय पुलिस जिला इन्दौर द्वारा अपने कार्य के साथ-साथ सम्पादित किया जायेगा.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री मनीष कुमार अग्रवाल, भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न पुलिस उपायुक्त (यातायात), नगरीय पुलिस, जिला इन्दौर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री मनीष कुमार अग्रवाल, भापुसे, के कार्यभार ग्रहण करने पर उक्त कण्डिका (2) में अतिरिक्त कार्यभार संपादित करने हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्री मनीष कुमार अग्रवाल, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री मनीष कुमार अग्रवाल, भापुसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

क्र. एफ 1(ए) 144-2017-ब-2-दो.—राज्य शासन, एतद्द्वारा, श्री पंकज श्रीवास्तव, भापुसे, सेनानी, 15वीं वाहिनी, विसबल, इन्दौर को अवकाश यात्रा सुविधा अंतर्गत खण्डवर्ष 2022-25 के प्रथम विस्तार वर्ष में दिनांक 13, 14, 15 व 18 दिसम्बर 2023 के 4 दिवस आकस्मिक अवकाश एवं 16-17 दिसम्बर 2023 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ उक्त अवधि में अवकाश यात्रा सुविधा अंतर्गत गोवा जाने हेतु परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ अनुमति एवं दस दिवस अर्जित अवकाश नगदीकरण की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

1. श्री पंकज श्रीवास्तव — स्वयं
2. श्रीमती अनुमिता श्रीवास्तव — पत्नी
3. सुश्री पंकिता श्रीवास्तव — पुत्री
4. श्री प्रत्यूष श्रीवास्तव — पुत्र

(2) अवकाश से लौटने पर श्री पंकज श्रीवास्तव, भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न सेनानी, 15वीं वाहिनी, विसबल, इन्दौर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री पंकज श्रीवास्तव, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री पंकज श्रीवास्तव, भापुसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
अनू भलावी, अवर सचिव.

## विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 29 दिसम्बर 2023

क्र. 21013-3593-इक्कीस-अ(स्था.) 2023.—विधि विभाग के आदेश क्रमांक 1209-इक्कीस-अ(स्था.), भोपाल 2023, दिनांक 20 अप्रैल 2023 के अनुक्रम में, मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण), दिनांक 31 मार्च 2018 शासकीय सेवक (अधिवार्षिकी आयु) संशोधन अध्यादेश, 2018 के अंतर्गत विधि विभाग भोपाल में पदस्थ श्री लालचंद मेहरचंदानी की अधिवार्षिकी आयु दिनांक 31 दिसम्बर 2024 को 62 वर्ष पूर्ण होने पर उनके नाम के सम्मुख दर्शाये गए तालिका के कॉलम (06) में अंकित दिनांक के अपरान्ह से सेवानिवृत्त किया जाता है :—

क्र.	अधिकारी का नाम, पदनाम एवं यूनिंक कोड	यूनिंक कोड	जन्मतिथि	स्थान एवं डी. डी. ओ. कोड नं.	सेवानिवृत्ति दिनांक	सा.भ.नि./ डी. पी. एफ. क्र.	शासकीय आवास
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	श्री लालचंद मेहरचंदानी (अनुभाग अधिकारी)	051016888	01-01-1963	भोपाल 0512101001	31-12-2024	SGS (NMP)2104	शासकीय आवास आवंटित नहीं है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
उमेश पाण्डव, प्रमुख सचिव.

भोपाल, दिनांक 9 नवम्बर 2023

फा. क्र. 5462-2023-इक्कीस-ब(एक).—राज्य शासन, उच्च न्यायालय की अनुशंसा पर मध्यप्रदेश कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम, 1984 (1984 का सं. 66) की धारा 4 सहपठित मध्यप्रदेश कुटुम्ब न्यायालय नियम, 2002 के नियम 3 के अन्तर्गत उच्चतर न्यायिक सेवा के अधिकारी श्री समीर कुलश्रेष्ठ, नवे जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, ग्वालियर को प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, भोपाल के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश के पद पर श्रीमती शशिकान्ता वैश्य के स्थान पर एतद्वारा, पदभार ग्रहण करने की दिनांक से आगामी आदेश होने तक प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त करता है.

उक्त न्यायिक अधिकारी को देय वेतन तथा भत्ते का निर्धारण मध्यप्रदेश कुटुम्ब न्यायालय नियम, 2002 के नियम 3 के अंतर्गत विकलनीय होगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
उमेश पाण्डव, सचिव.

## खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 22 नवम्बर 2023

क्र. एफ 5-2-2018-उन्तीस-2.—मध्यप्रदेश उपभोक्ता संरक्षण (राज्य आयोग और जिला आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का वेतन, भत्ते एवं सेवा की शर्तें) नियम, 2021 के नियम 6(1) के परन्तुक के प्रावधानों के तहत राज्य शासन, एतद्वारा, श्री अशोक कुमार तिवारी, न्यायिक सदस्य, मध्यप्रदेश राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग, भोपाल को मध्यप्रदेश राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग, भोपाल के अध्यक्ष का प्रभार अस्थायी रूप से सौंपता है.

(2) श्री अशोक कुमार तिवारी का प्रभारी अध्यक्ष के रूप में कार्यकाल कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से आगामी आदेश अथवा स्थायी अध्यक्ष के कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक तक होगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
बी. के. चन्देल, उपसचिव.

## किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 11 दिसम्बर 2023

AGR-14-1-0001-2023-PLANPROT-FWAD (Com. No. 254759).—कीटनाशी अधिनियम, 1968 की धारा 37 (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक बी 3-1-04-चौदह-2, दिनांक 25 फरवरी 2004 में कीटनाशी (म. प्र. अपील) नियम, 1976 में निम्न संशोधन करता है अर्थात् उक्त नियमों के नियम 3 खण्ड (बी) में शब्द आंचलिक प्रबंधक कृषि जलवायु क्षेत्र परियोजना के स्थान पर "संबंधित संभाग के संयुक्त संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास" स्थापित किया जाता है।

AGR-14-1-0001-2023-PLANPROT-FWAD (Com. No. 254759).—In exercise of the powers conferred under section 37 (2) of the Insecticide Act, 1968, State Government hereby amend in previous notification No. B 3-1-04-XIV-2 date 25<sup>th</sup> February, 2004. Divisional Joint Director Farmer Welfare and Agriculture Development has been substituted in place of Zonal Manager Agro-Climate Zone Project for their respective Division under Rule 3 Clause (b) of Insecticide (M.P. Appeal) Rule, 1976.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
तरूण भटनागर, उपसचिव.

## संस्कृति विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 12 दिसम्बर 2023

क्र. 1802-1192271-2023-तीस.—मध्यप्रदेश प्राचीन स्मारक एवं पुरातत्वीय स्थल तथा अवशेष अधिनियम, 1964 (क्र. 12 सन् 1964) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन विभिन्न आदेशों के तहत निम्नांकित को राज्य संरक्षित स्मारक घोषित किया गया था :-

क्र.	राज्य	जिला	तहसील	अनुसूची					
				स्थानीय क्षेत्र का नाम	स्मारक का नाम	राजस्व खण्ड क्रमांक जो संरक्षण के अधीन है	क्षेत्रफल (हे. में)	स्वामित्व	धार्मिक पूजा के अधीन है या नहीं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	म. प्र.	सतना	नागोद	उमरिहा	प्राचीन मूर्ति अवशेष	1545/1	3111/1, 1.94 0.794 का अंशभाग 52.50×61.50 मी.	देवस्थान मध्यप्रदेश	
2	म. प्र.	शहडोल	बांधवगढ़	अमरिहा	सगरा मंदिर प्राचीन शिव मंदिर	1222	0.03 0.012 हे.	शासकीय	नहीं
3	म. प्र.	जबलपुर	जबलपुर	गढ़ा	मुडिया शिव मंदिर	ख. नं. 500 में से	30×20=600 वर्गफीट	शासकीय	नहीं

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
4	म. प्र.	नरसिंहपुर	नरसिंहपुर	बचई	खैरापति के स्थान पर रखी अंबिका देवी की प्रतिमा	क्रमांक 180	0.947 हे. का टुकड़ा 88×64 =वर्गफीट	भूमि स्वामी पम्पा वल्द गनपत मुडहा	हाँ

राज्य शासन की यह राय है कि उक्त वर्णित अधिसूचना द्वारा राज्य संरक्षित घोषित किये गये स्मारक / क्षेत्र को अब और अधिक समय संरक्षित करने की आवश्यकता नहीं है।

अतः, मध्यप्रदेश प्राचीन स्मारक एवं पुरातत्वीय स्थल तथा अवशेष अधिनियम, 1964 की धारा 34 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य शासन एतद्वारा घोषित करता है कि उपरोक्त में वर्णित स्मारक / क्षेत्र को अब और अधिक समय तक संरक्षित करने की आवश्यकता नहीं है। अतः उक्त स्मारकों को मूल स्वरूप में बनाये रखने की शर्त पर जिला प्रशासन / ग्राम पंचायत को सौंपा जावे।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
सुनील दुबे, उपसचिव.

## विभाग प्रमुखों के आदेश कार्यालय, कलेक्टर, जिला मुरैना, मध्यप्रदेश

मुरैना, दिनांक 13 दिसम्बर 2023

क्र.-एस.सी.-2-स्था. अव.-18-2023-10867.—सामान्य पुस्तक परिपत्र भाग-2 के अनुक्रमांक 04 के नियम 08 एवं मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के ज्ञापन क्रमांक / एम 3-2-1999-1-4-भोपाल, दिनांक 30 मार्च, 1999 में विहित शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं, अंकित अस्थाना, कलेक्टर, जिला मुरैना वर्ष 2023 के लिए कार्यालयीन आदेश क्रमांक एस.सी.-2-स्था. अव.-18-2023-2258, मुरैना, दिनांक 1 मार्च 2023 के द्वारा दिनांक 14 नवम्बर 2023 मंगलवार दीपावली की गोवर्धन पूजा का स्थानीय अवकाश घोषित किया गया था. उक्त दिनांक का स्थानीय अवकाश आवश्यक कारणों से कार्यालयीन आदेश क्रमांक-एस.सी.-2-स्था. अव.-18-2023-10401 मुरैना, दिनांक 9 नवम्बर 2023 से निरस्त किया गया है. उक्त निरस्त स्थानीय अवकाश के स्थान पर दिनांक 18 दिसम्बर 2023 सोमवार घासीदास जयन्ती का स्थानीय अवकाश घोषित किया जाता है।

यह आदेश कोषागारों एवं उप कोषाकारों के लिये प्रभावशील नहीं होगा।

अंकित अस्थाना, कलेक्टर.

## कार्यालय, आयुक्त, भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश

प्रारूप बारह

(नियम 10 देखिए)

मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता भू-सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख नियम, 2020

ग्वालियर, दिनांक 2 जनवरी 2024

भू सर्वेक्षण का प्रारंभ

क्र. 02-भू-सर्वेक्षण-2023-18006.—मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख) नियम, 2020 के नियम 10 के साथ पठित मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 64 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, आयुक्त, भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश, एतद्वारा, यह अधिसूचित करते हैं कि नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम (6) में वर्णित क्षेत्र भू-सर्वेक्षण के अधीन लिये गये हैं:—

### अनुसूची

सरल क्रमांक	जिला	तहसील	ग्राम/नगर	पटवारी हल्का क्रमांक/ सेक्टर क्रमांक	भू-सर्वेक्षण के अधीन लिये गये क्षेत्र
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	कटनी	कटनी ग्रामीण	मूल ग्राम-हरदुआ मजरा-खिरवा	58	ग्राम का सम्पूर्ण क्षेत्र (आबादी क्षेत्र को छोड़कर)

अखिलेश कुमार जैन, संयुक्त आयुक्त.

## राज्य शासन के आदेश राजस्व विभाग

कार्यालय, सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व),  
डॉ. अम्बेडकर नगर, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश

डॉ. अम्बेडकर नगर, दिनांक 11 दिसम्बर 2023

प्ररूप "घ"  
(नियम 6 देखिए)

पत्र क्र.-3300-भू-अर्जन-2023-रा.प्र.क्र.-0005-बी-121-2023-24.—अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक-1241-री-1-2023, डॉ. अम्बेडकर नगर, दिनांक 27 अप्रैल 2023 द्वारा, राज्य सरकार ने सिमरोल-आम्बाचंदन माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत भूमिगत राईजिंगमेन/ग्रेविटीमेन/डी. आई. पाईप नहर में जल परिवहन हेतु ग्राम-मैमदी, प. ह. नं.-64, रा. नि. मं.-03, सिमरोल, तहसील डॉ. अम्बेडकर नगर, जिला इन्दौर में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है।

और, वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 5 मई 2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाईपलाईन बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा :—

जिला	तहसील	अनुसूची		उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
		ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	
(1) इन्दौर	(2) डॉ. अम्बेडकर नगर	(3) ग्राम-मैमदी, प.ह.नं.- 64	(4) 413/1/1	(5) 0.004
			412/2/2	0.024
			412/2/1	0.024
			424/3	0.004
			425/2/1	0.006
			411/2/1	0.012
			426/2/1	0.012
			426/1	0.012
			618/2	0.006
			619/2	0.007
			651/2	0.032
			411/1/1	0.016
			392/2	0.002
			392/1	0.011
			391	0.009
			389/1	0.033
			435/1/1/2	0.021
435/1/1/1	0.020			
479	0.014			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
इन्दौर	डॉ. अम्बेडकर नगर	ग्राम-मैमदी, प.ह.नं.- 64	475/3	0.014
			282/1/2	0.018
			282/1/1/4	0.024
			550/1/4	0.004
			639/1	0.008
			641/1/1	0.016
			642	0.014
			644/6	0.006
			644/5	0.007
			643	0.007
			644/4	0.008
			631/2	0.002
			630/2	0.013
			629	0.012
			628/4	0.010
			628/3	0.009
			628/2	0.009
			620/4	0.013
			618/3	0.016
			618/1	0.013
			657/3	0.018
			657/2	0.003
			662/4	0.013
			665/3	0.024
			665/2	0.016
			664	0.010
			3/1/1	0.006
			3/2	0.006
			3/1/2	0.001
			3/1/3	0.004
			3/3	0.003
			15	0.005
			12/1	0.005
			12/2	0.006
			19/1	0.017
			39	0.008
			41	0.006
			43/4	0.007
			43/5/1	0.006
			43/3	0.005
			102	0.002
			101/1	0.007
			100	0.004
			99/1	0.002
			99/2/2	0.002
			99/2/4	0.002
			99/2/3	0.002
			98/2	0.001
			160/3	0.009

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
इन्दौर	डॉ. अम्बेडकर नगर	ग्राम-मैमदी, प.ह.नं.- 64	168 170 171/2 173 174/2 175/3 175/2 136 135/1 16/1	0.007 0.004 0.007 0.016 0.001 0.003 0.004 0.007 0.005 0.002
			योग	0.748

प्ररूप "घ"  
(नियम 6 देखिए)

पत्र क्र.-3303-भू-अर्जन-2023-रा.प्र.क्र.-0003-बी-121-2023-24.—अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक-1238-री-1-2023, बड़वाह, दिनांक 27 अप्रैल 2023 द्वारा, राज्य सरकार ने सिमरोल-आम्बाचंदन माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत भूमिगत राईजिंग मेन पाईप नहर में जल परिवहन हेतु ग्राम-सिमरोल, प. ह. नं.-65, रा. नि. मं.-03, सिमरोल, तहसील डॉ. अम्बेडकर नगर, जिला इन्दौर में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है।

और, वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 5 मई 2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाईपलाईन बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा :-

जिला	तहसील	अनुसूची		उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
		ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
इन्दौर	डॉ. अम्बेडकर नगर	ग्राम-सिमरोल, प.ह.नं.- 65	889/1 889/8 889/4/2 889/5 889/6/1 889/13 894/1 894/2 893/1/1 893/1/2 892/1 893/2/1 893/2/2	0.019 0.007 0.007 0.019 0.020 0.008 0.012 0.010 0.008 0.012 0.004 0.016 0.008



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
इन्दौर	डॉ. अम्बेडकर नगर	ग्राम-सिमरोल, प.ह.नं.- 65	909/2/1 911/1 912/2/1 917/2/1/1/2 917/2/1/2/1 921/1/1 921/4/1 930/1 930/2 933/2 933/1 941/2/2 947/6/2/1 947/6/1/1/2 947/7/1/1	0.029 0.018 0.022 0.026 0.008 0.007 0.030 0.024 0.024 0.035 0.017 0.003 0.011 0.014 0.008
			योग	0.426

प्ररूप "घ"  
(नियम 6 देखिए)

पत्र क्र.-3309-भू-अर्जन-2023-रा.प्र.क्र.-0002-बी-121-2023-24.—अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक-1239-री-1-2023, बड़वाह, दिनांक 27 अप्रैल 2023 द्वारा, राज्य सरकार ने सिमरोल-आम्बाचंदन माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत भूमिगत राईजिंगमेन/ग्रेविटीमेन 1 व ग्रेविटी मेन 2 एवं ब्रांच माईनर पाईप नहर में जल परिवहन हेतु ग्राम-आम्बाचंदन, प. ह. नं.-61/23, रा. नि. मं.-03, सिमरोल, तहसील डॉ. अम्बेडकर नगर, जिला इन्दौर में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है।

और, वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 5 मई 2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाईपलाईन बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा :—

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
इन्दौर	डॉ. अम्बेडकर नगर	ग्राम-आम्बाचंदन, प.ह.नं.- 61/23	605 599/2 598/3 597/1 597/2 599/3 493/2/1/1	0.002 0.024 0.021 0.012 0.007 0.013 0.005 0.008 0.007

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
इन्दौर	डॉ. अम्बेडकर नगर	ग्राम-आम्बाचंदन, प.ह.नं.- 61/23	493/2/1/2	0.005
			493/4	0.020
			493/7	0.007
			500/2	0.007
			499	0.020
			496	0.010
			138/2	0.003
			239	0.006
			512/1	0.015
			514	0.007
			461	0.004
			462/1	0.005
			460	0.014
			459/1	0.016
			305	0.035
			309	0.009
			340/2	0.004
			340/1/2	0.009
			316/1	0.009
			317/2	0.015
			317/4	0.011
			323	0.004
			327	0.012
			329	0.002
			240	0.004
			236/2	0.004
			238	0.001
			237	0.004
			227	0.005
			225	0.012
			258/1073	0.005
			258/2	0.005
			258/1	0.004
			798	0.009
			798/1131/2	0.003
			813/2	0.005
			814	0.003
			815	0.001
			818	0.002
			819	0.002
			829/2	0.001
			828	0.010
			826	0.010
			825	0.003
			824/1	0.004
			824/2	0.001
			964	0.003
			965/1	0.002

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
इन्दौर	डॉ. अम्बेडकर नगर	ग्राम-आम्बाचंदन,	963/3	0.007
			963/1	0.002
			340/1/1	0.005
			341/1	0.004
			342/1	0.003
			367	0.006
			360	0.011
			359	0.002
			361	0.005
			355	0.004
			382/2	0.002
			387/1	0.005
			384	0.004
			386	0.006
			385	0.008
			116/2	0.007
			115/9	0.003
			115/10	0.003
			115/3	0.005
			115/2	0.005
			107/1124	0.001
			107/2/1	0.009
			108	0.001
			109	0.005
			110	0.005
			99/2	0.001
			100/2	0.011
			योग . .	<u>0.590</u>

प्ररूप "घ"  
(नियम 6 देखिए)

पत्र क्र.-3306-भू-अर्जन-2023-रा.प्र.क्र.-0004-बी-121-2023-24.—अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक-1240-री-1-2023, डॉ. अम्बेडकर नगर, दिनांक 27 अप्रैल 2023 द्वारा, राज्य सरकार ने सिमरोल-आम्बाचंदन माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत भूमिगत राईजिंग मेन/ग्रेविटी मेन/डी. आई. पाईप नहर में जल परिवहन हेतु ग्राम-दतोदा, प. ह. नं.-63, रा. नि. मं.-03, सिमरोल, तहसील डॉ. अम्बेडकर नगर, जिला इन्दौर में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है।

और, वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 5 मई 2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाईपलाईन बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा :-

जिला	तहसील	अनुसूची		खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
		ग्राम/पटवारी हल्का	क्रमांक		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)
इन्दौर	डॉ. अम्बेडकर नगर	ग्राम-दतोदा, प.ह.नं.- 63	2337	0.006	
			2338	0.015	
			2336/2	0.009	
			2341/1	0.003	
			2340/1	0.014	
			2340/2	0.002	
			2342	0.006	
			1689	0.001	
			2375	0.004	
			2379	0.010	
			2383/1	0.014	
			2383/5	0.034	
			2383/2	0.007	
			2385/2	0.002	
			2383/3	0.028	
			2392/1/2	0.008	
			2392/2/2	0.008	
			2392/3/2	0.008	
			2392/5	0.020	
			2392/6	0.018	
			2336/1	0.005	
			2346	0.001	
			2341/2	0.002	
			2345/1	0.007	
			2345/2	0.009	
			2349	0.001	
			2351/1	0.043	
			2353/1	0.031	
			2358	0.015	
			2309/1	0.010	
			2311	0.002	
			2315/2	0.004	
2290/3	0.009				
2290/2/3	0.007				
2286/1	0.009				
2286/2	0.004				
1645	0.001				
1646/2	0.002				
1686/1	0.004				
1686/2/1	0.002				
1686/2/2	0.002				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
इन्दौर	डॉ. अम्बेडकर नगर	ग्राम-दत्तोदा, प.ह.नं.- 63	1683	0.001
			1682/1	0.005
			1682/2	0.005
			1681	0.001
			1673/1/2	0.004
			1673/1/1	0.002
			1673/4	0.004
			1671/2	0.001
			1670/1	0.001
			1617/5	0.004
			1619	0.004
			1615/1	0.002
			1615/2	0.002
			1609/3	0.002
			1604	0.003
			1602	0.005
			1599	0.001
			1600	0.003
			1546	0.002
			1544	0.007
			1506	0.004
			1500/1/2/2	0.011
			1473/1	114/Sqmrtrs/ 0.002 hact.
			2290/5	0.011
			2360/2	0.005
			2359/2/2	0.002
			2360/3	0.009
			2360/1	0.011
			2306/1	0.001
			2423	0.006
			2422/1	0.002
			2455	0.003
			2454/2	0.008
			2452/1	0.004
			2452/2	0.018
			2482	0.012
			2524/2/2	0.005
			2527/4/1	0.006
			2527/3	0.003
			2527/1/1	0.005
			2571/2	0.003
			2527/2	0.007
			2573	0.008
			2572	0.003
			2571/3	0.005
			2586	0.002
			2587/1	0.002
			2587/2/2	0.002

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
इन्दौर	डॉ. अम्बेडकर नगर	ग्राम-दतोदा, प.ह.नं.- 63	2587/2/3 2595/2 2587/2/4 2603 2604/2 2612/2	0.002 0.001 0.002 0.007 0.002 0.007
			योग . . .	<u>0.627</u>

विनोद राठौर, सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व).

कार्यालय, सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) कसरावद, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश

कसरावद, दिनांक 13 दिसम्बर 2023

प्ररूप "घ"  
(नियम 6 देखिए)

पत्र क्र.-2085-भू-अर्जन-2023-रा.प्र.क्र.-0009-अ-82-2022-23.—अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक-2274-भू-अर्जन-2022, कसरावद, दिनांक 23 दिसम्बर 2022 द्वारा, राज्य सरकार ने बलकवाड़ा उद्वहन माइक्रो सिंचाई परियोजना के अंतर्गत भूमिगत राईजिंग मेन पाईप नहर में जल परिवहन हेतु ग्राम-रामपुरा, प. ह. नं.-44, रा. नि. मं.-02, बलकवाड़ा, तहसील कसरावद, जिला खरगोन में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है.

और, वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 27 जनवरी 2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है.

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाईपलाईन बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा :-

जिला	तहसील	अनुसूची		उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
		ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	
(1) खरगोन	(2) कसरावद	(3) ग्राम-रामपुरा, प.ह.नं.-44	(4) 9/1 9/7 9/2 9/3 9/4 7/1 85/2 81/3 81/4/1 81/4/2 81/5 77 70/3	(5) 0.010 0.005 0.008 0.004 0.011 0.003 0.016 0.002 0.005 0.005 0.009 0.004 0.003

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
खरगोन	कसरावद	ग्राम-रामपुरा, प.ह.नं.-44	70/2	0.001
			91/6	0.011
			70/1	0.010
			67/1	0.001
			69/2	0.004
			68	0.009
			145	0.010
			144/3/1	0.005
			150	0.007
			151	0.008
			152	0.010
			153/1	0.006
			153/2	0.005
			154/1	0.003
			154/2	0.007
			157	0.006
			158	0.006
			159/2	0.006
			160/2	0.005
			161/3	0.004
			163/3	0.004
			162/1	0.004
			162/3	0.004
			163/4	0.001
			164/3	0.003
			165	0.010
			166	0.003
			167	0.003
			168	0.002
			172	0.003
			174	0.009
			177/2	0.247
			योग	0.247

प्ररूप "घ"  
(नियम 6 देखिए)

पत्र क्र.-2083-भू-अर्जन-2023-रा.प्र.क्र.-0031-अ-82-2020-21.—अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक-2270-भू-अर्जन-2022, कसरावद, दिनांक 23 दिसम्बर 2022 द्वारा, राज्य सरकार ने बलकवाड़ा उद्वहन माइक्रो सिंचाई परियोजना के अंतर्गत भूमिगत ग्रेविटी मेन/डी. आई. पाईप नहर में जल परिवहन हेतु ग्राम-नायदड़, प. ह. नं.-33, रा. नि. मं.-01, बालसमुद, तहसील कसरावद, जिला खरगोन में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को विछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है.

और, वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 27 जनवरी 2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है.

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाईपलाईन बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा :-

### अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
खरगोन	कसरावद	ग्राम-नायदड़, प.ह.नं.-33	742	0.005
			743	
			744	
			745	
			746	
			748/1	
			748/2	
			योग . . .	

### प्ररूप "घ" (नियम 6 देखिए)

पत्र क्र.-2087-भू-अर्जन-2023-रा.प्र.क्र.-0010-अ-82-2022-23.—अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक-2276-भू-अर्जन-2022, कसरावद, दिनांक 23 दिसम्बर 2022 द्वारा, राज्य सरकार ने बलकवाड़ा उद्वहन माइक्रो सिंचाई परियोजना के अंतर्गत भूमिगत ग्रेविटी मेन/डी. आई. पाईप नहर में जल परिवहन हेतु ग्राम-बाजीटपुरा, प. ह. नं.-48, रा. नि. मं.-02, बलकवाड़ा, तहसील कसरावद, जिला खरगोन में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है.

और, वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 27 जनवरी 2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है.

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाईपलाईन बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा :-

### अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
खरगोन	कसरावद	ग्राम-बाजीटपुरा प.ह.नं.-48	128/1/1	0.012
			127/2	
योग . . .				0.018

अग्रिम कुमार, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व).



कार्यालय, कलेक्टर, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश एवं सक्षम प्राधिकारी मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

खरगोन, दिनांक 12 दिसम्बर 2023

क्र. 498-भू-अर्जन-2022.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है एवं अधिनियम की धारा 43 में वर्णित प्रावधान के परिप्रेक्ष्य में इस प्रकरण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है, इसलिए पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम की आवश्यकता नहीं है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 की उपधारा (1) के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

### अनुसूची

#### (1) भूमि का विवरण—

(क)	जिला—खरगोन	
(ख)	तहसील—भीकनगांव	
(ग)	ग्राम—पछाया	
(घ)	लगभग क्षेत्रफल—0.226 हेक्टेयर.	
	खसरा नं.	रकबा (हे. में)
	(1)	(2)
	2/4/2/1	0.106
	215	0.120
	कुल योग . . .	<u>0.226</u>

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—“सतसोई तालाब योजना के शीर्ष कार्य एवं डूब प्रभावित मार्ग निर्माण हेतु.”
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, भीकनगांव, कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग, खरगोन कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

क्र. 499-भू-अर्जन-2022.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है एवं अधिनियम की धारा 43 में वर्णित प्रावधान के परिप्रेक्ष्य में इस प्रकरण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है, इसलिए पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम की आवश्यकता नहीं है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 की उपधारा (1) के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

### अनुसूची

#### (1) भूमि का विवरण—

- (क) जिला—खरगोन
- (ख) तहसील—भीकनगांव
- (ग) ग्राम—बोरगांव
- (घ) लगभग क्षेत्रफल—0.765 हेक्टेयर.

	खसरा नं.	रकबा (हे. में)
	(1)	(2)
	386/1/2	0.280
	387/1	0.345
	388	0.035
	389	0.105
	कुल योग . . .	<u>0.765</u>

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—“सतसोई तालाब योजना के शीर्ष कार्य के निर्माण में डूब प्रभावित मार्ग निर्माण हेतु.”
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, भीकनगांव, कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, खरगोन कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
कर्मवीर शर्मा, कलेक्टर एवं सक्षम प्राधिकारी.

## कार्यालय, अनुविभागीय भू-अर्जन अधिकारी, (राजस्व) बरेली जिला रायसेन, मध्यप्रदेश

क्र.-2196-भू-अर्जन-2023

बरेली, दिनांक 16 अगस्त 2023

प्रकरण क्रमांक 0007/अ-82/2022-23 / भू-अर्जन/ बरेली चूंकि राज्य शासन को प्रतीत होता है कि निम्न अनुसूची के खाने (1) से (6) में वर्णित भूमि को अनुसूची के खाने (8) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। उक्त प्रयोजन हेतु प्रकरण में म.प्र. शासन, राजस्व विभाग मंत्रालय, भोपाल के परिपत्र क्रमांक एफ 12-2-2014 सात 2ए दिनांक 12.11.2014 के द्वारा प्रतिपादित आपसी सहमति से भूमि क्रय की नीति के तहत कार्यवाही प्रचलित है। नीति अनुसार धारकों द्वारा निर्धारित प्रारूप (ख) में अपनी सहमति प्रस्तुत की गई है। अतएव निम्न दर्शित भूमि धारकों से परियोजना के लिए राज्य सरकार से संबंधित विभाग/उपक्रम के पक्ष में क्रय किये जाने पर विचार किया जा रहा है। यदि किसी व्यक्ति को भूमि के स्वत्व के विषय में कोई आपत्ति हो तो नियत अवधि (सार्वजनिक सूचना प्रकाशन के 15 दिवस के भीतर) में आधार सहित आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है। नियत अवधि के पश्चात प्राप्त आपत्तियों पर विचार नहीं किया जायेगा।

ग्राम का नाम - जीराबाडा

तहसील- बरेली

क्र.	ग्राम का नाम	भूमि स्वामी का नाम	अर्जित किये जाने वाले खसरा नं.	कुल रकबा हेक्टेयर में	अर्जित रकबा हेक्टेयर में	प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5	6	7	8
1	जीराबाडा	हनीफ खां आ. सुल्तान खां जाति मुसलमान निवासी खरगौन	68/3/1	2.150	0.158	कार्यपालक यंत्री बारना वायी नहर संभाग बाडी	बारना वृहद सिंचाई परियोजना अंतर्गत नयागांव माईनर नहर निर्माण हेतु ग्राम जीराबाडा
2	जीराबाडा	रिजयान, इमरान आ. इमाम खां जाति मुसलमान निवासी खरगौन	68/3/2	2.149	0.194		
3	जीराबाडा	नारायण सिंह आ. गंगाराम जाति गौड निवासी जीराबाडा	16/1 16/2 2 क़िंता	0.809 1.486 2.295	0.186 0.204 0.390		
4	जीराबाडा	भगवानदास पिता भैयालाल जाति सोनी निवासी बरेली	16/4/1	0.760	0.064		
5	जीराबाडा	राकेश आ. भैयालाल जाति सोनी निवासी बरेली	16/4/2	0.454	0.044		
6	जीराबाडा	भगवानदास पिता भैयालाल जाति सोनी निवासी बरेली	17/1/1	0.757	0.048		
7	जीराबाडा	लक्ष्मीनारायण आ. भैयालाल जाति सोनी निवासी बरेली	17/2/1	0.761	0.048		
8	जीराबाडा	अरविंद कुमार आ. भैयालाल जाति सोनी निवासी बरेली	17/3/1	0.757	0.048		
9	जीराबाडा	राकेश आ. भैयालाल जाति सोनी निवासी बरेली	17/4/1	0.761	0.048		
10	जीराबाडा	लक्ष्मीनारायण आ. भैयालाल जाति सोनी निवासी बरेली	17/3/2/1	0.655	0.019		
11	जीराबाडा	अरविंद कुमार आ. भैयालाल जाति सोनी निवासी बरेली	17/3/2/2	0.106	0.024		
12	जीराबाडा	राकेश आ. भैयालाल जाति सोनी निवासी बरेली	17/4/2/1	0.208	0.024		
13	जीराबाडा	अरविंद कुमार आ. भैयालाल जाति सोनी निवासी बरेली	17/4/2/2	0.549	0.056		
14	जीराबाडा	सोनिया पुत्री अशोक पटेल जाति रघुवंशी निवासी भोपाल	18	6.07	0.227		
15	जीराबाडा	हल्देमैया आ. हृदयराम जाति किरार निवासी, खैरबाडा	19/1/2/2 19/2/3/5 2 क़िंता	1.883 0.506 0.389	0.020 0.099 0.119		
16	जीराबाडा	रामसिंह आ. हृदयराम जाति किरार निवासी खैरबाडा	19/2/3/3/1	0.396	0.311		
17	जीराबाडा	मोहन आ. हरपाल जाति गौड निवासी जीराबाडा	14/3	0.522	0.081		
18	जीराबाडा	दिनेश सिंह आ. मबूत सिंह जाति किरार निवासी खैरबाडा	26/7	1.214	0.187		
19	जीराबाडा	सौरभ कुमार, राहुल आ. सुरेन्द्र कुमार जाति कलार निवासी बरेली	35/1/2	0.970	0.263		
20	जीराबाडा	सौरभ कुमार, राहुल आ. सुरेन्द्र कुमार जाति कलार निवासी बरेली	35/2/1/1/1/1	2.212	0.065		
21	जीराबाडा	सुरेन्द्र कुमार आ. माधुराम जाति कलार निवासी बरेली	35/2/1/2/1	5.879	0.437		
22	जीराबाडा	शांतिबाई पति भगवत सिंह जाति किरार निवासी नयागांव खुई	48/2	6.526	0.550		
23	जीराबाडा	शासकीय सम्पूर्ण भाग रास्ता	4/2	0.024	0.008		
24	जीराबाडा	शासकीय सम्पूर्ण भाग रास्ता	36	0.429	0.020		

क्र.-2197-भू-अर्जन-2023

प्रकरण क्रमांक 0006/अ-82/2022-23 /भू-अर्जन/बरेली चूंकि राज्य शासन को प्रतीत होता है कि निम्न अनुसूची के खाने (1) से (6) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (8) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। उक्त प्रयोजन हेतु प्रकरण में म.प्र. शासन, राजस्व विभाग मंत्रालय, भोपाल के परिपत्र क्रमांक एफ 12-2-2014 सात 2ए दिनांक 12.11.2014 के द्वारा प्रतिपादित आपसी सहमति से भूमि क्रय की नीति के तहत कार्यवाही प्रचलित है। नीति अनुसार धारको द्वारा निर्धारित प्रारूप (ख) में अपनी सहमति प्रस्तुत की गई है। अतएव निम्न दर्शित भूमि धारको से परियोजना के लिए राज्य सरकार से संबंधित विभाग/उपक्रम के पक्ष में क्रय किये जाने पर विचार किया जा रहा है। यदि किसी व्यक्ति को भूमि के स्वत्व के विषय में कोई आपत्ति हो तो नियत अवधि (सार्वजनिक सूचना प्रकाशन के 15 दिवस के भीतर) में आधार सहित आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है। नियत अवधि के पश्चात प्राप्त आपत्तियों पर विचार नहीं किया जायेगा।

ग्राम का नाम - बैगनिया			तहसील- बरेली				
क्र.	ग्राम का नाम	भूमि स्वामी का नाम	अर्जित किये जाने वाले खसरा नं.	कुल रकबा हेक्टेयर में	अर्जित रकबा हेक्टेयर में	प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5	6	7	8
1	बैगनिया	रत्ना बेवा हनुमतशरण, सरल,अशुल आ. हनुमतशरण जाति ब्राह्मण नि. नयागांव खुर्द	43/1	5.233	0.409	कार्यपालन यंत्री बारना यायी नहर संभाग बाडी	बारना बृहद सिंचाई परियोजना अंतर्गत नयागाव माईनर नहर निर्माण हेतु ग्राम जीराबाडा
2	बैगनिया	कलियाबाई, दमियाबाई पुत्री हल्का, केवल सिंह आ. लक्ष्मण सिंह जाति दीमर नि.ग्राम	41/4	0.566	0.526		
3	बैगनिया	राजेन्द्र प्रसाद आ. भैयालाल जाति ब्राह्मण नि.ग्राम भूमिस्वामी	42	7.863	0.595		
4	बैगनिया	केवल सिंह आ.लक्ष्मण सिंह जाति दीमर	41/1	0.105	0.057		
5	बैगनिया	बदामीलाल आ. अमृतलाल जाति ब्राह्मण नि. बरेली	45/2	7.952	0.004		
6	बैगनिया	विनोद ठाकुर पिता सुल्लू, प्रमोदठाकुर सुल्लू गौड, शकुनबाई बेवा सुल्लू, सुशीला बाई पिता सुल्लू गौड	47/2	0.611	0.020		
7	बैगनिया	कोमल सिंह आ. अमान सिंह जाति किरार नि. ग्राम	53/1	0.607	0.080		
8	बैगनिया	सुरारी आ. मान सिंह जाति किरार नि. ग्राम भूमिस्वामी	53/5	0.607	0.050		
9	बैगनिया	मानसिंह आ.पृथ्वीसिंह किरार नि.ग्राम भूमिस्वामी	53/6/1	0.202	0.030		
10	बैगनिया	लक्ष्मण धाकड़ आ.गनेशराम धाकड़ नि. ग्राम भूमिस्वामी	53/3/1	0.506	0.052		
11	बैगनिया	राहुल पिता हीरालाल किरार नि.ग्राम भूमिस्वामी	53/4	0.607	0.120		
12	बैगनिया	दिनेश कुमार आ.हीरालाल जाति किरार नि.ग्राम भूमिस्वामी	52/2/2	0.607	0.082		
13	बैगनिया	विदेक धाकड़ पिता गनेशराम धाकड़ जाति किरार नि.ग्राम भूमिस्वामी	51/1/1	0.607	0.095		
14	बैगनिया	विदेक धाकड़ पिता गनेशराम धाकड़ जाति किरार नि.ग्राम भूमिस्वामी	52/2/3	0.607	0.052		
15	बैगनिया	दिनेश कुमार आ.हीरालाल जाति किरार नि.ग्राम भूमिस्वामी	51/1/2	0.607	0.095		
16	बैगनिया	विद्यानासह आ.धनश्याम जाति किरार नि.बनियाखेडी	95/1	1.719	0.150		
17	बैगनिया	देवीसिंह आ.खुशीलाल जाति किरार नि. बनियाखेडी	95/2/1	0.860	0.074		
18	बैगनिया	दौलत सिंह आ.खुशीलाल जाति किरार नि.बनियाखेडी	95/2/2	0.860	0.075		
19	बैगनिया	किशोर सिंह आ.भबूत सिंह जाति किरार नि.ग्राम	90/1	1.467	0.154		
20	बैगनिया	दर्शन सिंह आ.नंदन सिंह किरार नि.ग्राम	90/2	1.467	0.186		
21	बैगनिया	अवधनारायण आ.रतिराम जाति किरार नि.ग्राम	91/2/1	1.666	0.027		
22	बैगनिया	हीरालाल आ.भुज्जा, भरोसीबाई आ.भुज्जा, ओमप्रकाश, जगदीश, अखलेश आ. श्यामलाल जाति बढई नि.ग्राम	86/3	2.128	0.012		
23	बैगनिया	ओमकार आ. बाबूलाल जाति किरार नि. ग्राम	91/1/1/1/1	0.732	0.015		
24	बैगनिया	हाकम सिंह आ.बाबूलाल जाति किरार नि.ग्राम	91/1/1/1/2/1	0.732	0.015		
25	बैगनिया	शासकीय सम्पूर्ण भाग रास्ता	46	0.364	0.008		
26	बैगनिया	शासकीय सम्पूर्ण भाग रास्ता	35	0.283	0.012		

संतोष मुदगल, अनुविभागीय/भू-अर्जन अधिकारी.

**कार्यालय, कलेक्टर, जिला सिवनी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश, शासन  
राजस्व विभाग**

क्र.-9027-जि.भू.अ.-2023

सिवनी, दिनांक 19 दिसम्बर 2023

धारा-6

(नियम 5)

प्रकरण क्रमांक 0010/अ-82/2023-24 मुख्य कार्यकारी अधिकारी झाबुआ पावर लिमिटेड (सयुक्त उपक्रम एन.टी.पी.सी.लिमिटेड भारत सरकार का उपक्रम) ग्राम बरेला तहसील घंसौर जिला सिवनी म.प्र. को रेल मार्ग द्वारा कोयले की आपूर्ति के लिये रेलवे लाईन का निर्माण हेतु समुचित सरकार ग्राम बरेला पटवारी हल्का नं. 20 रा.नि. मं. कहानी तहसील घंसौर जिला सिवनी की पट्टा भूमि ख.नं. 664/2 अर्जित रकबा 0.40 हैं. का अर्जन करना चाहता है। समुचित सरकार द्वारा भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30) की धारा 4 के तहत गठित सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन दल द्वारा सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन उपरांत मध्यप्रदेश भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2015 के नियम 5 के तहत निर्धारित प्रारूप 'ख' में सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट प्रारूप 'ग' में सामाजिक समाघात प्रबंध योजना प्रस्तुत की गयी है, जो इस सूचना के साथ संलग्न कर प्रकाशित की जा रही है।

संलग्न:-प्रारूप "ख" एवं "ग"

प्रकरण क्रमांक 0010/अ-82/2023-24 ग्राम -बरेला विकासखंड- घंसौर तहसाल- घसार, जिला सिवनी (म.प्र.)

प्रारूप- ख  
(नियम 5)

सामाजिक समाघात रिपोर्ट

1	परियोजना का नाम	झाबुआ पावर लिमिटेड (सयुक्त उपक्रम एन.टी.पी.सी.लिमिटेड भारत सरकार का एक उपक्रम) की विद्युत ईकाई के लिये रेल मार्ग द्वारा कोयले की आपूर्ति हेतु रेलवे लाईन का निर्माण।
2	लोक प्रयोजन	कोल आधारित विद्युत संयंत्र के लिए कोयले की पर्याप्त आपूर्ति जिससे विद्युत उत्पादन कर मध्यप्रदेश एवं राष्ट्र की विद्युत आवश्यकता की पूर्ति में योगदान प्रदान करना।
3	स्थान	ग्राम -बरेला प0ह0न0- 20रा.नि.मं. -कहानी तहसील घंसौर व जिला सिवनी
4	परियोजना का क्षेत्र	पट्टा भूमि ख.नं. 664/2 अर्जित रकबा 0.40 है.
5	विकल्प जिन पर विचार किया गया है।	
6	परियोजना की पृष्ठ भूमि विकासकर्ता की पृष्ठ भूमि नियंत्रण सहित	झाबुआ पावर लिमिटेड (सयुक्त उपक्रम एन.टी.पी.सी.लिमिटेड भारत सरकार का एक उपक्रम) की विद्युत ईकाई के लिये रेल मार्ग द्वारा कोयले की आपूर्ति हेतु रेलवे लाईन का निर्माण।
7	परियोजना निर्माण के चरण	प्रथम चरण में कार्य को पूर्ण किया जाना है।
8	परियोजना के प्रभावों को दर्शाने वाले क्षेत्र के नक्शे	संलग्न है।
9	परियोजना के लिये आवश्यक कुल भूमि	ग्राम -बरेला प0ह0न0- 20 रा.नि.मं. -कहानी तहसील घंसौर की पट्टा भूमि ख.नं. 664/2 अर्जित रकबा 0.40 है.
10	भूमि का मूल्य	कलेक्टर पंजीयन गाईन लाईन वर्ष 2023-24 में निर्धारित भूमि के मूल्य के अनुसार
11	प्रभावित परिवारों की कुल संख्या(अधिनियम की धारा 3 के खंड(ग) के अनुसार	निरंक
12	परिसंपत्तियां	निरंक
13	विस्थापित होने वाले संभावित परिवारों की संख्या जिनकी भूमि अर्जित हुई	निरंक
14	सामाजिक समाघात (क) समाघातों का विवरण (ख)समाघातों की संकेतक सूची	सामाजिक आर्थिक एवं पर्यावरणीय समाघात का अध्ययन। 1. सामाजिक प्रभाव आंकलन - परिवार विस्थापन एवं पुनर्वसाहत, शिक्षा, समुदाय की भागीदारी, स्वास्थ्य सेवाएँ 2. निर्मित संरचना - इमारत का प्रकार, स्थिति, उपस्थिति 3. आर्थिक मूल्यांकन - रोजगार और आय के स्रोत 4. सामाजिक पर्यावरण -म.प्र. पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड भोपाल के पत्र क्रमांक MPPCB/JBP/J-13012/105/2008 दिनांक 17/02/2010 के अनुसार सामाजिक पर्यावरण की स्वीकृति प्राप्त है।
15	विकल्प जिन पर विचार किया गया है (क) यदि हाँ तो वर्तमान प्रस्तावों की अधिमानीयता क्यों दी गयी। (ख) यदि नहीं तो क्यों नहीं	परियोजना के पूर्ण होने से विद्युत संयंत्र को सुगमता पूर्वक रेल मार्ग द्वारा कोयले की आपूर्ति होगी, जिससे संयंत्र अपनी उपलब्ध क्षमता से संचालित होकर विद्युत उत्पादन कर मध्यप्रदेश एवं राष्ट्र के विकास में योगदान देगा।
16	प्रस्ताव का निष्कर्ष	झाबुआ पावर लिमिटेड (सयुक्त उपक्रम एन.टी.पी.सी.लिमिटेड भारत सरकार का एक उपक्रम) को रेल मार्ग द्वारा सुगमता पूर्वक कोयले की आपूर्ति हेतु रेलवे लाईन का निर्माण किया जा रहा है। रेलवे लाईन के निर्माण से रेल मार्ग द्वारा इस क्षेत्र की एक मात्र विद्युत ईकाई की आवश्यकता अनुसार कोयले की आपूर्ति रेल परिवहन द्वारा हो सकेगी जिससे संयंत्र निरंतर संचालित होकर मध्यप्रदेश एवं राष्ट्र की उर्जा की आवश्यकताओं की पूर्ति में अहम योगदान करेगा और स्थानीय लोगों को रोजगार के अधिक अवसर प्राप्त होंगे।

प्रकरण क्रमांक 0010/अ-82/2023-24 ग्राम -बरेला विकासखंड-घंसौर तहसील-घंसौर, जिला सिवनी(म.प्र.)

प्रारूप-ग  
(नियम 5)

सामाजिक समाघात प्रबंध योजना

निम्नलिखित समाघातों के समाधान हेतु आवश्यक सुधारात्मक उपाय

1	प्रभावित परिवारों की जीविका	प्रभावित नहीं
2	लोक एवं सामुदायिक परिसंपत्तियां	प्रभावित नहीं
3	आस्तियां और अधोसंरचना विशेषकर सड़के लोक परिवहन	प्रभावित नहीं
4	जल - मल निकासी एवं स्वच्छता	प्रभावित नहीं
5	पेयजल के स्रोत	प्रभावित नहीं
6	पशुओं के लिये पेयजल स्रोत	प्रभावित नहीं
7	सामुदायिकतलाब	प्रभावित नहीं
8	जन सुविधाए(पोस्ट आफिस उचित मूल्य की दुकान विद्युत आपूर्ति, स्वास्थ्य सुविधाए स्कूल आंगनबाडी बालउद्यान और श्मशान कब्रिस्तान)	उपरोक्तानुसार कोई जन सुविधा प्रभावित नहीं हो रही है।
9	वे उपाय जिनके बारे में आपेक्षक निकाय का कथन है कि वह प्रस्तावित परियोजना में शामिल करेगा।	बिन्दु क्रमांक 1 से लगाकर बिन्दु क्रमांक 8 तक में कोई भी प्रभावित न होने के कारण कोई भी उपाय करने की आवश्यकता नहीं है।
10	अतिरिक्त उपाय जिनके बारे में अपेक्षक निकाय का कथन है कि सामाजिक समाघात निर्धारण प्रक्रिया और जन सुनवाईयों के निष्कर्षों के प्रति उत्तर में उसका जिम्मा लेगा।	यदि समाघात निर्धारण प्रक्रिया और जनसुनवाई के निष्कर्षों में किसी भी हितबद्ध पक्ष के द्वारा आक्षेप प्रस्तुत की जाती है तो आक्षेप के विश्लेषण पश्चात सुनवाई के बाद आपेक्षक निकाय निर्णय लेगा।

क्र.-9028-जि.भू.अ.-2023

प्रकरण क्रमांक 0011/अ-82/2023-24 मुख्य कार्यकार्य अधिकारी झाबुआ पावर लिमिटेड (सयुक्त उपक्रम एन.टी.पी.सी.लिमिटेड भारत सरकार का उपक्रम) ग्राम बनेकी कला तहसील घंसौर जिला सिवनी म.प्र. को रेल मार्ग द्वारा कोयले की आपूर्ति के लिये रेलवे लाईन का निर्माण हेतु समुचित सरकार ग्राम बनेकी कला पटवारी हल्का नं. 24 रा.नि.मं. कहानी तहसील घंसौर जिला सिवनी की पट्टा भूमि खं.न. 113/2 अर्जित रकबा 1.35 हैं. का अर्जन करना चाहता है। समुचित सरकार द्वारा भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन मे उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30) की धारा 4 के तहत गठित सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन दल द्वारा सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन उपरांत मध्यप्रदेश भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन मे उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2015 के नियम 5 के तहत निर्धारित प्रारूप 'ख' में सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट प्रारूप 'ग' में सामाजिक समाघात प्रबंध योजना प्रस्तुत की गयी है, जो इस सूचना के साथ संलग्न कर प्रकाशित की जा रही है।

संलग्न:-प्रारूप "ख" एवं "ग"

प्रकरण क्रमांक 001॥/अ-82/2023-24 ग्राम -बिनेकी कला विकासखंड- घंसौर तहसील- घंसौर, जिला सिवनी (म.प्र.)

**प्रारूप- ख  
(नियम 5)**

**सामाजिक समाघात रिपोर्ट**

1	परियोजना का नाम	झाबुआ पावर लिमिटेड (सयुक्त उपक्रम एन.टी.पी.सी.लिमिटेड भारत सरकार का एक उपक्रम) की विद्युत ईकाई के लिये रेल मार्ग द्वारा कोयले की अपूर्ति हेतु रेलवे लाईन का निर्माण।
2	लोक प्रयोजन	कोल आधारित विद्युत संयंत्र के लिए कोयले की पर्याप्त आपूर्ति जिससे विद्युत उत्पादन कर मध्यप्रदेश एवं राष्ट्र की विद्युत आवश्यकता की पूर्ति में योगदान प्रदान करना।
3	स्थान	ग्राम बिनेकी कला प0ह0न0- 24 रा.नि.मं. -कहानी तहसील घंसौर व जिला सिवनी
4	परियोजना का क्षेत्र	पट्टा भूमि खं.न. 113/2 अर्जित रकबा 1.35 हैं.
5	विकल्प जिन पर विचार किया गया है।	
6	परियोजना की पृष्ठ भूमि विकासकर्ता की पृष्ठ भूमि नियंत्रण सहित	झाबुआ पावर लिमिटेड (सयुक्त उपक्रम एन.टी.पी.सी.लिमिटेड भारत सरकार का एक उपक्रम) की विद्युत ईकाई के लिये रेल मार्ग द्वारा कोयले की अपूर्ति हेतु रेलवे लाईन का निर्माण।
7	परियोजना निर्माण के चरण	प्रथम चरण में कार्य को पूर्ण किया जाना है।
8	परियोजना के प्रभावों को दर्शाने वाले क्षेत्र के नक्शे	संलग्न है।
9	परियोजना के लिये आवश्यक कुल भूमि	ग्राम बिनेकी कला प0ह0न0- 24 रा.नि.मं. -कहानी तहसील घंसौर की पट्टा भूमि खं.न. 113/2 अर्जित रकबा 1.35 हैं.
10	भूमि का मूल्य	कलेक्टर पंजीयन गाईन लाईन वर्ष 2023-24 में निर्धारित भूमि के मूल्य के अनुसार
11	प्रभावित परिवारों की कुल संख्या(अधिनियम की धारा 3 के खंड(ग) के अनुसार	निरंक
12	परिसंपत्तियां	निरंक
13	विस्थापित होने वाले संभावित परिवारों की संख्या जिनकी भूमि अर्जित हुई	निरंक
14	सामाजिक समाघात (क) समाघातों का विवरण (ख)समाघातों की संकेतक सूची	सामाजिक आर्थिक एवं पर्यावरणीय समाघात का अध्ययन। 1. सामाजिक प्रभाव आंकलन - परिवार विस्थापन एवं पुनर्बसाहट, शिक्षा, समुदाय की भागीदारी, स्वास्थ्य सेवाये 2. निर्मित संरचना - इमारत का प्रकार, स्थिति, उपस्थिति 3. आर्थिक मूल्यांकन - रोजगार और आय के स्रोत 4. सामाजिक पर्यावरण -म.प्र. पर्यावरण प्रदुषण नियंत्रण बोर्ड भोपाल के पत्र क्रमांक MPPCB/JBP/J-13012/105/2008 दिनांक 17/02/2010 के अनुसार सामाजिक पर्यावरण की स्वीकृति प्राप्त है।
15	विकल्प जिन पर विचार किया गया हो (क) यदि हाँ तो वर्तमान प्रस्तावों की अधिमन्यता क्यों दी गयी। (ख) यदि नहीं तो क्यों नहीं	परियोजना के पूर्ण होने से विद्युत संयंत्र को सुगमता पूर्वक रेल मार्ग द्वारा कोयले की अपूर्ति होगी, जिससे संयंत्र अपनी उपलब्ध क्षमता से संचालित होकर विद्युत उत्पादन कर मध्यप्रदेश एवं राष्ट्र के विकास में योगदान देगा। -
16	प्रस्ताव का निष्कर्ष	झाबुआ पावर लिमिटेड (सयुक्त उपक्रम एन.टी.पी.सी.लिमिटेड भारत सरकार का एक उपक्रम) को रेल मार्ग द्वारा सुगमता पूर्वक कोयले की अपूर्ति हेतु रेलवे लाईन का निर्माण किया जा रहा है। रेलवे लाईन के निर्माण से रेल मार्ग द्वारा इस क्षेत्र की एक मात्र विद्युत ईकाई को आवश्यकता अनुसार कोयले की अपूर्ति रेल परिवहन द्वारा हो सकेगी जिससे संयंत्र निरंतर संचालित होकर मध्यप्रदेश एवं राष्ट्र की उर्जा की आवश्यकताओं की पूर्ति में अहम योगदान करेगा और स्थानीय लोगों को रोजगार के अधिक अवसर प्राप्त होंगे।

प्रकरण क्रमांक 0011 /अ-82 /2023-24 ग्राम -बिनेकी कला विकासखंड-घंसौर तहसील-घंसौर, जिला सिवनी(म.प्र.)

प्रारूप-ग

(नियम 5)

सामाजिक समाघात प्रबंध योजना

निम्नलिखित समाघातों के समाधान हेतु आवश्यक सुधारात्मक उपाय

1	प्रभावित परिवारों की जीविका	प्रभावित नहीं
2	लोक एवं सामुदायिक परिसंपत्तियां	प्रभावित नहीं
3	आस्तियां और अधोसंरचना विशेषकर सड़के लोक परिवहन	प्रभावित नहीं
4	जल - मल निकासी एवं स्वच्छता	प्रभावित नहीं
5	पेयजल के स्रोत	प्रभावित नहीं
6	पशुओं के लिये पेयजल स्रोत	प्रभावित नहीं
7	सामुदायिकतलाब	प्रभावित नहीं
8	जन सुविधाए(पोस्ट आफिस उचित मूल्य की दुकान विद्युत आपूर्ति, स्वास्थ्य सुविधाए स्कूल आंगनबाड़ी बालउद्यान और श्मशान कब्रिस्तान)	उपरोक्तानुसार कोई जन सुविधा प्रभावित नहीं हो रही है।
9	वे उपाय जिनके बारे में आपेक्षक निकाय का कथन है कि वह प्रस्तावित परियोजना में शामिल करेगा।	बिन्दु क्रमांक 1 से लगाकर बिन्दु क्रमांक 8 तक में कोई भी प्रभावित न होने के कारण कोई भी उपाय करने की आवश्यकता नहीं है।
10	अतिरिक्त उपाय जिनके बारे में अपेक्षक निकाय का कथन है कि सामाजिक समाघात निर्धारण प्रक्रिया और जन सुनवाईयों के निष्कर्षों के प्रति उत्तर में उसका जिम्मा लेगा।	यदि समाघात निर्धारण प्रक्रिया और जनसुनवाई के निष्कर्षों में किसी भी हितबद्ध पक्ष के द्वारा आक्षेप प्रस्तुत की जाती है तो आक्षेप के विश्लेषण पश्चात सुनवाई के बाद आपेक्षक निकाय निर्णय लेगा।

क्र.-9087-जि.भू.अ.-2023

सिवनी, दिनांक 21 दिसम्बर 2023

चूक राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि, इसमें संलग्न अनुसूची के खान (1) स (14) में उल्लेखित वर्णित भूमि की कांचनामंडी जलाशय परियोजना की बांयी एवं दायी तट मुख्य नहर निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पडने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और परदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा 1 के उपबंधों के अनुसार एतद द्वारा सभी सम्बंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन द्वारा कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग क्रमांक 1 सिवनी जिला सिवनी को सम्बंधित भूमि के सम्बंध में भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों के प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है।

अर्जित की जाने भूमि के सम्बंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और परदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 6 के अन्तर्गत सिंचाई परियोजना की बावत जहाँ तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन पर्यावरणीय समाघात निर्धारण के प्रक्रिया की अपेक्षा की जाती है, इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण उपबन्ध लागू नहीं होंगे। उपरोक्त के संबंध में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार भोपाल द्वारा दिनांक 17/04/2015 को स्वीकृति प्रदान की गई है। अतः अधिनियम की धारा-11 (3) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है। अर्जन हेतु प्रस्तावित भूमि का विवरण निम्नानुसार है-

01. ग्राम का नाम :- मानेगांवकला ब.नं. :- 479 प.ह.न.-43  
 02. रा.नि.मं. :- बरघाट तहसील:- बरघाट जिला - सिवनी  
 03. अर्जन हेतु प्रस्तावित क्षेत्रफल :- 0.05 हेक्टेयर

क्रं	सर्वेक्षण सं०	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन का क्षेत्र हे० ऋ	हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता	सीमाएं				वृक्ष		संरचनाएं	
						उत्तर	दक्षिण	पूर्व	पश्चिम	किस्म	संख्या	प्रकार	स्थिति एरिया
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	336/1	भूमि स्वामी	कृषि	0.05	क्षत्रपति पिता टेकचंद जाति पवार नि.ग्रा. भूमिस्वामी	शासकीय भूमि	सचिन, नितिन बगैरह पि. फकीरचंद जाति तेली की भूमि	सचिन, नितिन बगैरह पि. फकीरचंद जाति तेली की भूमि	क्षत्रपति पि. टेकचंद की शेष भूमि	-	-	-	-
योग	1			0.05									

- अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी बरघाट जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है।
- अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय कार्यापालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक 1 सिवनी जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है।
- अधिनियम की धारा-11 (4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना किसी ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संयव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संयव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात् क्रय / विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।
- अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई भी व्यक्ति " भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा -15(1) के अधीन इस अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे।



क्र.-9088-जि.भू.अ.-2023

चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि, इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (14) में उल्लेखित वर्णित भूमि की कांचनामंडी जलाशय परियोजना की बांयी एवं दायी तट मुख्य नहर निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि, राज्य शासन इसके द्वारा कार्यपालन यंत्रों जल संसाधन संभाग क्रमांक 1 सिवनी जिला सिवनी को संबंधित भूमि के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा - 12 में दी गई शक्तियों के प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है।

अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा - 6 के अंतर्गत सिंचाई परियोजनाओं की बाबत जहां तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन पर्यावरणीय समाघात निर्धारण की प्रक्रिया की अपेक्षा की जाती है, इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण उपबंध लागू नहीं होंगे। उपरोक्त के संबंध में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार भोपाल द्वारा दिनांक 17/04/2015 को स्वीकृति प्रदान की गई है। अतः अधिनियम की धारा 11(3) के अंतर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है। अर्जन हेतु प्रस्तावित भूमि का विवरण निम्नानुसार है:-

1 ग्राम का नाम :- साल्हेकलां

बं.नं. :- 563

प.ह.नं. :- 66

रा.नि.मं. :- बरघाट

तहसील :- बरघाट

जिला :- सिवनी

2 अर्जन हेतु प्रस्तावित भूमि का क्षेत्रफल :- 0.43 हेक्टेयर

स. क्र.	सर्वेक्षण क्रमांक	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन के क्षेत्रफल (हे० मं)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता	सीमाएं				वृक्ष		संरचना	
						उत्तर	दक्षिण	पूर्व	पश्चिम	प्रगत कि. म.	संख्या	प्रकार	स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	489/1/1	भूमिस्वामी	कृषि	0.02	नूतनबाई पत्नी रामेश्वर प्रसाद जाति पंवार नि.ग्रा. भूमिस्वामी	नूतनबाई की शेष भूमि	शासकीय भूमि	भुमेश्वरी पिता चैनसिंह बगैरह की शेष भूमि	नेमीचंद पि. जीवनलाल की भूमि	-	-	-	-
2	489/1/2	भूमिस्वामी	कृषि	0.04		शासकीय भूमि	नूतनबाई की शेष भूमि	भुमेश्वरी पिता चैनसिंह बगैरह की शेष भूमि	नेमीचंद पि. जीवनलाल की भूमि	-	-	-	-

3	527/3 /1	भूमिस्वामी	कृषि	0.04	नेमीचंद जीवनलाल पंवार भूमिस्वामी	पिता जाति नि.ग्रा.	नेमीचंद पिता जीवनलाल जाति पवार की शेष भूमि	शासकीय भूमि	नेमीचंद पिता जीवनला ल जाति पवार की शेष भूमि	रविन्द्र विमला बगैरह पिता जोहरला ल अहीर की भूमि	-	-	-	-
4	527/3 /2	भूमिस्वामी	कृषि	0.04			शासकीय भूमि	नेमीचंद पिता जीवनलाल जाति पवार की शेष भूमि	नेमीचंद पिता जीवनला ल जाति पवार की शेष भूमि	रविन्द्र विमला बगैरह पिता जोहरला ल अहीर की भूमि				
5	488/3 /1	भूमिस्वामी	कृषि	0.04			नेमीचंद पिता जीवनलाल जाति पवार की शेष भूमि	शासकीय भूमि	नूतनबाई की भूमि	नेमीचंद पिता जीवनला ल जाति पवार की शेष भूमि				
6	488/3 /2	भूमिस्वामी	कृषि	0.03			शासकीय भूमि	नेमीचंद पिता जीवनलाल जाति पवार की शेष भूमि	नूतनबाई की भूमि	नेमीचंद पिता जीवनला ल जाति पवार की शेष भूमि				
7	492/1 /1	भूमिस्वामी	कृषि	0.04	भुमेश्वरी चैनसिंह पत्नी पंवार भूमिस्वामी	पिता नूतनबाई रामेश्वर जाति नि.ग्रा.	भुमेश्वरी पिता चैनसिंह बगैरह की शेष भूमि	शासकीय भूमि	मानेश्वरी की भूमि	नूतनबाई की भूमि	-	-	-	-
8	492/1 /2	भूमिस्वामी	कृषि	0.04			शासकीय भूमि	भुमेश्वरी पिता चैनसिंह बगैरह की शेष भूमि	उर्मिला, प्रमिला / उदय सह बगैरह की भूमि	नूतनबाई की भूमि	-	-	-	-
9	2/1	भूमिस्वामी	कृषि	0.14	सेमेन्द्र ललिता दिशा पिता जागेश्वर रोमतन पत्नी जागेश्वर जाति पंवार नि.ग्रा. भूमिस्वामी		शासकीय भूमि	जागेश्वर पिता जीवनलाल पवार की शेष भूमि	मनोज विनोद बगैरह पिता शोभाराम पवार की भूमि	शासकी य भूमि	-	-	-	-
योग	9			0.43							-	-	-	-

- अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी बरघाट जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है।
- अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक 1 सिवनी जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है।
- अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना किसी ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात् कय / विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।
- अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई भी व्यक्ति " भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा -15(1) के अधीन इस अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
क्षितिज सिंघल, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

## कार्यालय, कलेक्टर, जिला शाजापुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग

क्र.-भू-अर्जन-2023-268-269

शाजापुर, दिनांक 13 दिसम्बर 2023

:- अधिसूचना भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार, अधिनियम 2013:-

चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने क्रमांक 1 से 4 में वर्णित भूमि को अनुसूची के खाने 6 में बताये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पढ़ने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार, अधिनियम 2013 की धारा-11 (1) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है व ऐसी किसी भूमि में जिसे धारा-11 की उपधारा-1 के अधीन अधिसूचित किया गया है, जिसकी लोक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होनी संभाव्य है, हितबद्ध कोई व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 दिन के भीतर (क) अर्जित किये जाने के लिए प्रस्तावित भूमि के क्षेत्र और उपयुक्तता के प्रति (ख) लोक प्रयोजन के लिए दिये गये औचित्य के प्रति, (ग) सामाजिक समघात निर्धारण रिपोर्ट के निष्कर्षों के प्रति आक्षेप अनुविभागीय अधिकारी/भू अर्जन अधिकारी शाजापुर के कार्यालय में कर सकेगा :-

अर्जित की जाने वाली भूमि का विवरण				धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
1	2	3	4	5	6
शाजापुर	शुजालपुर	लसुडलिया हेजम	1.515 निजी	कार्यपालन यंत्रों, लोक निर्माण विभाग, संभाग शाजापुर	शुजालपुर सिटी से लसुडलिया हेजम मार्ग निर्माण

## अनुसूची (02)

क्र.	कृषक का नाम व पिता/पति का नाम	भूमि का खसरा क्रमांक	भूमि का कुल रकबा	अर्जित की जाने वाली भूमि का विवरण हेक्टर में		
				सिंचित	असिंचित	कुल
1	2	3	6	7	8	9
1	श्रीमति रानीबाई पति अशोक, लक्ष्मीबाई पति भारतसिंह जाति काछी	54/1/1	0.252	0.130	0	0.130
2	दिनेश पिता देवकरण जाति पंवार	54/2	0.888	0.178	0	0.178
3	श्री चंद्रसिंह, दिलीपसिंह, विष्णुचरण, लखनसिंह पिता मुंशीलाल, किश, रितिका नाबा0 पिता एलमसिंह सरपर0 माता स्वयं नेम कुंवरबाई विधवा एलमसिंह, जसोदाबाई विधवा मुंशीलाल, रणजीतसिंह पिता भंवरजी, मंशाबाई पिता जीतमल, माखनसिंह, प्रेमसिंह पिता दोलतसिंह जाति पंवार, रामचरण पिता पदमसिंह जाति तेली पता लसुडलिया हेजम भूमि स्वामी	62/1/1/4	0.418	0	0.418	0.418
		77/1/1/4	0.240	0	0.240	0.240
4	श्रीमति रेखाबाई पति मुकेश जाति पंवार	62/2	0.612	0.270	0	0.270
5	श्री कैलाश पिता धुलजी जाति सुतार	76/1	0.028	0.010	0	0.010
6	श्री लालजीराम पिता हजारीलाल जाति सुतार	76/2	0.028	0	0.010	0.010
7	श्री बद्रीप्रसाद हिस्सा 0.531 पिता शोभाराम, कांतीलाल पिता शोभाराम, अनारबाई बेवा शोभाराम	76/3	0.028	0	0.010	0.010
8	श्री रामचरण पिता पदमसिंह जाति पंवार	77/2	0.796	0	0.249	0.249
कुल योग			3.290	0.588	0.927	1.515

नोट-भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) शुजालपुर/ भू-अर्जन अधिकारी शुजालपुर के कार्यालय में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
किशोर कन्याल, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला नरसिंहपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन  
राजस्व विभाग

प्ररूप V  
(नियम 10 देखें)

धारा 19 (1) के तहत पुनर्वासन एवं पुनर्व्यावस्थापन संशोधित घोषणा का प्रकाशन  
सचिव, राजस्व विभाग

क. 367/भू-अर्जन/2023

नरसिंहपुर, दिनांक 21/12/2023

रा0मा0 क. 12/अ-82/2022-23 मौजा ग्राम- हीरापुर नं.बं. 598 प.ह.नं.- 3 तहसील- नरसिंहपुर

जहां सरकार को ऐसा प्रतीत होता है कि लोक प्रयोजन चिनकी बोरास बराज संयुक्त बहुउद्देशीय परियोजना के डूब क्षेत्र हेतु ग्राम हीरापुर नं.बं. 598 प.ह.नं. 3 तहसील नरसिंहपुर जिला नरसिंहपुर में कुल 8.825 हेक्टेयर भूमि अपेक्षित है। इसलिये घोषणा की जाती है कि उपर्युक्त परियोजना के लिए अर्जन के अधीन एक भू-खंड है, जो 8.825 हेक्टेयर है ग्राम हीरापुर तहसील नरसिंहपुर जिला नरसिंहपुर में है। जिसका विस्तृत ब्योरा निम्नानुसार है-

ग्राम - हीरापुर तह0 नरसिंहपुर नं. बं. 598, प.ह.नं. 3

स.	हितवद्ध व्यक्ति का नाम	स्वामित्व का प्रकार	खसरा नं.	अर्जित रकबा हे.
1	2	3	4	5
1	प्रेमसिंह वल्द गुवन्दी रावत सा.देह	भूमि स्वामी	26/1/3	0.093
2	बृजलाल वृन्दावन पिता इमरत रावत सा.देह	भूमि स्वामी	26/1/2	0.017
3	उत्तमसिंह शंकरलाल पूरनलाल पिता सूरतसिंह दुज्जीबाई वेवा	भूमि स्वामी	56/2	0.316
4	पूरनलाल वल्द प्रेमलाल केटले सा. झालोन तहसील पाटन	भूमि स्वामी	61/1	0.129
5	आनंद कुमार आ. अन्नीलाल संजीव कुमार आ. पूरनलाल नाथ	भूमि स्वामी	61/2	0.129
6	टावल वल्द मंगल चमार सा. हीरापुर	भूमि स्वामी	59/2,60/2,59/4 60/4	0.637
7	भागवती वेवा कल्याण सिंह श्रीराम कुन्नु प्रीतम धन्नाबाई जय बाई जानकीबाई कमलोबाई मुन्नी पिता कल्याण ढीमर सा.देह	भूमि स्वामी	59/3, 60/3 59/1, 60/1	0.178 0.405
8	श्री ब्रम्हा विद्यानंद ब्रम्हचारी गुरु श्री जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद जी सरस्वती महाराज परमहंसी गंगाआश्रम झोतेश्वर	भूमि स्वामी भूमि स्वामी	172, 173 142/1, 144/1, 147/1	0.976 0.153
9	गोपी पम्मा सोबरन कमलसिंह मुन्नालाल भीकम सब्बोवाई	भूमि स्वामी	148/1	0.017
10	जानकीप्रसाद उर्फ रामेश्वर प्रसाद वल्द रूपचंद सा. हीरापुर	भूमि स्वामी	148/3	0.126
11	कुंजीलाल वल्द गनेश प्रसाद नौरिया सा. नरसिंहपुर	भूमि स्वामी	170/1/1, 174/1,	0.239
12	राहुल रोहित पिता उमाशंकर अग्रवाल सा. हीरापुर	भूमि स्वामी	170/1/2, 174/1,	0.405
13	संत सिंह इमरती बाई कुंवरबाई पिता अध्दीलाल खिम्मा निर्मल	भूमि स्वामी	169, 175	1.263
14	संत सिंह इमरती बाई कुंवरबाई पिता अध्दीलाल खिम्मा निर्मल बाई कमला बाई हल्कीबाई पुत्री घनश्याम मलाह सा. हीरापुर	भूमि स्वामी	170/2, 171/2 174/2	0.809
15	रमेश वतीबाई पिता रूपचंद मलाह सा.देह	भूमि स्वामी	167/3	0.176

16	रीनाबाई वल्द खुजलू मलाह सा. देह	भूमि स्वामी	161/12, 167/5	0.134
17	श्रीदेव महावीर जी स्वामी सर0 अमित कुमार, राजेश कुमार, आरती, आभा, अनीता पिस. छविलाल जाति ब्राह्मण पता हीरपुर नरसिंहपुर	भूमि स्वामी	163	0.168
18	मेरसिंह मोहनसिंह रख्खोबाई इमरती बाई पिता खूबसिंह	भूमि स्वामी	166	0.168
19	मुन्नीबाई पति डब्ल सिंह वृजलाल भोपत हीरालाल त्रिवेणीबाई	भूमि स्वामी	168, 176	0.526
20	नर्मदा प्रसाद वल्द परसराम मलाह सा. जुगपुरा	भूमि स्वामी	165, 177	0.814
21	नारायण वल्द ऊमेद सिंह मलाह सा. जुगपुरा	भूमि स्वामी	164, 178	0.947
			कुल योग	8.825

- उपरोक्त सूची के सरल क्रमांक 17 के हितग्राहियों के नाम न्यायालय तहसीलदार नरसिंहपुर के प्रकरण क्रमांक 0910/अ-6/2022-23 आदेश दिनांक 13.04.23 के अनुसार संशोधित किये गये हैं।
- यह घोषणा हितबद्ध व्यक्तियों के आक्षेपों को सुनने और भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा 15 में यथा उपबधित सम्यक जांच करने के पश्चात् की गयी है।
- कार्यपालन यंत्री रा.अं.बा.लो.सा.नहर संभाग नरसिंहपुर के पत्रांक 410 दिनांक 15.03.2023 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि भू- अर्जन के कारण विस्थापित होने वाले संभावित कुटुम्ब की संख्या निरंक है, अतः इनके लिये पुनर्व्यवस्थापन के क्षेत्र चिन्हित करने का प्रश्न उद्भूत नहीं होता है।
- चिनकी बोरस बराज संयुक्त बहुउद्देशीय परियोजना के निर्माण एवं पहुंच मार्ग निर्माण हेतु हितबद्ध व्यक्तियों में से किसी भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं होने से धारा 19 की उपधारा (2) के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं है।
- उक्त भूमि के या उक्त भूमि के किसी भाग में पड़े कोयला, लौह पत्थर, स्लेट या अन्य खनिजों की खानें हैं, खान और खनिज के ऐसे भागों, में जिन्हे उस प्रयोजन, जिसके लिए भूमि अर्जित की जा रही है, की परियोजना के निर्माण चरण के दौरान खोदे जाने या हटाये या उपयोग किए जाने की अपेक्षा है, को छोड़कर आवश्यक नहीं है।
- जिला भू अर्जन अधिकारी के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस को भूमि योजना का निरीक्षण किया जा सकता है।

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजगढ़ (ब्यावरा), मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश  
शासन राजस्व विभाग

प्र.क्र.-51-अ-82-2023-24

राजगढ़, दिनांक 25 जुलाई 2023

(अंतर्गत धारा-19 भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (कं.30 सन् 2013) चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची में मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना तहसील राजगढ़ जिला राजगढ़ के ग्राम समेली के लिए डूब क्षेत्र में शेष वर्णित आबादी के अंतर्गत छूटे हुए मकान जिसका कृषकवार सर्वे कमवार विवरण अनुसूची में उल्लेखित है। सार्वजनिक प्रायोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (कं.30 सन् 2013) की धारा-19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि आबादी की भूमि सर्वे नं. 230/1/2 रकबा 1.000 है, सर्वे नं. 167/4 रकबा 1.341 है एवं सर्वे नं. 199 रकबा 0.038 है, पर स्थित परिसम्पत्ति निम्न वर्णित अनुसूची की भूमि में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता

-: अनुसूची :-

मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना के डूब क्षेत्र में शेष प्रभावित मकान :- ग्राम समेली

स.क्र.	आबादी का विवरण हे.में		नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	मकान नम्बर	अर्जनीय मकान का माप क्षेत्रफल वर्ग मीटर में
	आबादी के सर्वे नं.	कुल रकबा			
1	2	3	4	5	
1	167/4	1.341	कु. रबीना (नाबलिंग) पिता श्री स्व: श्री राधेश्याम जाति रूहैला	34	302.40
योग :-					302.40
या (हे.में)					0.030

भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, एवं भू-अर्जन अधिकारी (राजस्व) राजगढ़ जिला राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है।

प्र.क्र.-22-अ-82-2023-24

राजगढ़, दिनांक 4 सितम्बर 2023

(अंतर्गत धारा-19 भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (कं.30 सन् 2013) चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची में मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना तहसील एवं जिला राजगढ़ की ग्राम-कराडिया के लिए डूब में शेष प्रभावित भूमि हेतु आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार सर्वे कमवार विवरण अनुसूची में उल्लेखित है। सार्वजनिक प्रायोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (कं.30 सन् 2013) की धारा-19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची की भूमि में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

-: अनुसूची ( 1 ) :-

मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना हेतु प्रभावित भूमि

स.क्र.	विवरण	अर्जन हेतु रकबा (हे.में)
( 1 )	( 2 )	( 3 )
1	कराडिया	0.759
कुलयोग :-		0.759

-: अनुसूची ( 2 ) :-

मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना हेतु प्रभावित भूमि :- ग्राम कराडिया

स.क्र.	प्रभावित कृषक का नाम	खसरा नंबर	कुल रकबा (हे.में)	अर्जित रकबा (हे.में)
1	2	3	4	5
1	मानसिंह, कमल, रामकिशन पिता शंकरलाल, प्रेमबाई, कलाबाई पिता शंकरलाल जाति लोड़ा नि.ग्रा.भूमि स्वामी	5/7	0.759	0.759
महायोग :-			1	0.759
			0.759	0.759

भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, एवं भू-अर्जन अधिकारी (राजस्व) राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है।

कमांक/ 9944 /भू-अर्जन/2023 चूक राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न सूची के खाने (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (2) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है।

प्रकरण कमांक 2919-82/2023-24 चूक राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची कमांक 1 में सुन्दरपुरा तालाब के डूब क्षेत्र से ग्राम सुन्दरपुरा की प्रभावित शेष भूमि जिसका कृषकवार सर्वे कमवार विवरण अनुसूची 2 में उल्लेखित है। अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पादर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क. 30 सन् 2013) की धारा 11 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची 2 की भूमि की अनुसूची 1 में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

—: अनुसूची ( 1 ) :—

तहसील : ब्यावरा

जिला : राजगढ़

सुन्दरपुरा तालाब के डूब क्षेत्र से प्रभावित छूटी हुई निजी में भूमि का अनुपूरक प्रस्ताव, ग्राम-सुन्दरपुरा

स.क.	विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हे.में)	
		कुल रकबा	प्रभावित रकबा
( 1 )	( 2 )	( 3 )	( 4 )
1	सुन्दरपुरा तालाब के डूब क्षेत्र से प्रभावित ग्राम- सुन्दरपुरा की भूमि की आवश्यकता।	1.161	0.500
कुल योग :-		1.161	0.500

—: अनुसूची (2) :—

स.क्र.	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	सर्वे नंबर	भूमि का कुल रकबा (हे.में)	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हे.में)
1	2	3	4	5
1	रामप्रसाद आ. बंशीलाल, कान्तीबाई पति रामप्रसाद जाति चमार पता नि.ग्रा.भू. अहस्तांतरणीय	81/3/1	0.397	0.230
2	कंवरलाल पिता-नाथूलाल, सीमाबाई पति कंवरलाल जाति चमार नि.ग्रा.भू. अहस्तांतरणीय	81/4/1	0.397	0.230
3	मांगीलाल पिता दोलजी जाति साँधिया पता नि.ग्रा.भू.	47	0.367	0.040
कुल:-		किता 3	1.161	0.500

भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी (राजस्व) ब्यावरा, जिला - राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है।

हर्ष दीक्षित, कलेक्टर.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला नरसिंहपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन  
राजस्व विभाग

क्र.-1617-अ.वि.अ.-भू-अर्जन-2023

नरसिंहपुर, दिनांक 27 दिसम्बर 2023

प्रारंभिक अधिसूचना  
(देखिये धारा 11)

रा.भा.क्र. 0001/अ-82/2023-24 मौजा ग्राम-खिरेटी प.ह.नं. 28/7 नं.ब. 93 तहसील सांईखेड़ा

चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची-1 में कार्यपालन यंत्री रानी अवंती बाई लोधी सागर नहर संभाग नरसिंहपुर को नर्मदा नदी पर चिनकी बोरास बराज संयुक्त बहुउद्देशीय परियोजना के लिये बेराज निर्माण हेतु भूमि की आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है।

सर्व संबंधित को यह सूचित किया जाता है कि चिनकी बोरास बराज संयुक्त बहुउद्देशीय परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति (EC Identification NO.- EC23B000MP119529) को राज्य स्तरीय पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्राधिकरण द्वारा दिनांक 30.01.2023 प्रदाय की गई है। भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-6 की उपधारा-2 के अनुसार सिंचाई परियोजनाओं के संबंध में जहां पर्यावरणीय प्रभाव निर्धारण की प्रक्रिया की तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के प्रावधानों के अधीन अपेक्षा की जाती, सामाजिक प्रभाव निर्धारण से संबंधित इस अधिनियम के प्रावधान लागू नहीं होंगे। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है:-

अनुसूची-1

- |    |                             |   |   |
|----|-----------------------------|---|---|
| 1. | परियोजना का नाम             | : | चिनकी बोरास बराज संयुक्त बहुउद्देशीय परियोजना कि लिये डूब क्षेत्र |
| 2. | भूमि का विवरण               | : |   |
|    | 1. जिला                     | : | नरसिंहपुर   |
|    | 2. तहसील                    | : | सांईखेड़ा   |
|    | 3. ग्राम                    | : | खिरेटी  |
|    | 4. प.ह.नं.                  | : | 28/7  |
|    | 5. नं.ब.                    | : | 93  |
|    | 6. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल | : | 0.200 हे.   |



## अनुसूची 2

क्रं.	हितबद्ध व्यक्ति का नाम एवं पता	स्वामित्व का प्रकार	खसरा नंबर	अर्जित रकबा हे.
1	2	3	4	5
1.	मुरारी प्रसाद पुत्र जमना प्रसाद ब्रा. पता नरसिंहपुर	भूमिस्वामी	102/1	0.200
			कुल योग	0.200

यह अधिसूचना इससे संबंधित सभी व्यक्तियों के लिये भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 (2013 का 30) की धारा 11(1) उपबंधों के अधीन जारी की गई है।

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक-एफ 16-15(7)-2014-सात-शा. 2ए भोपाल दिनांक- 29.09.2014 जिसका मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 03.10.2014 के पृष्ठ क्रमांक 2895 पर प्रकाशन किया गया है। उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी भू-अर्जन शाखा नरसिंहपुर को अधिनियम की धारा-12 द्वारा दी गई शक्ति का प्रयोग करने के लिए निर्देशित किया जाता है।

सरकार, उक्त अधिनियम की धारा-12 में यथा उपबंधित एवं विनिर्दिष्ट कार्यपालन यंत्री रानी अवंतीबाई लोधी सागर नहर संभाग नरसिंहपुर और उसके कर्मचारिवृंद को भूमि में प्रवेश करने और उसका सर्वेक्षण करने, किसी भी भूमि के स्तर लेने, अवमृदा में खुदाई करने या वेधन करने और अपने कार्य के उचित निष्पादन के लिये अपेक्षित सभी अन्य कार्य करने के लिये प्राधिकृत करती है।

अधिनियम की धारा-11(4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिकारी के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात् क्रय/विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अधिनियम की धारा-15(1) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 दिनों के भीतर किसी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर (कक्ष क्रं. 84, भू-अर्जन शाखा, नरसिंहपुर) एवं अनुविभागीय अधिकारी (रा.) गाडरवारा के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) गाडरवारा) में आक्षेप यदि कोई हो फाईल किए जा सकेंगे।

भूमि से संबंधित रेखांकन अनुविभागीय अधिकारी (रा.) अनुविभाग गाडरवारा कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान देखा जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
ऋजु बाफना, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायसेन, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,  
राजस्व विभाग

परिपत्र क्रमांक 05 / 2023 / राजस्व / 2023-24 - चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि निम्न सूची 01 से 08 में वर्णित भूमि के कॉलम 08 में दर्शित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन हेतु आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रविकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के कॉलम (07) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त धारा-11 की उपधारा(2) द्वारा दी गई शक्तियों का उपयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है :-

**भूमि का विवरण :-**

जिला	-	रायसेन
तहसील / तालुका	-	बेगमगंज
ग्राम	-	बांसादेही

**—:अनुसूची:—**

**—:भूमि का विवरण:—**

जिला	तहसील	ग्राम का नाम	खसरा नंबर	कुल रकवा (हे. में)	अर्जित रकवा (हे. में)	धारा-11 की उपधारा (2) द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5	6	7	8
रायसेन	बेगमगंज	बांसादेही	20/1/1/1	0.319	0.217	परियोजना प्रबंधक बीना पी. एम.यू. जल संसाधन विभाग सागर	जेरा मध्यम सिंचाई परियोजना के अंतर्गत बांध निर्माण के दूब से प्रभावित हेतु।
			20/1/1/2	1.012			
			20/1/2, 21, 23, 24	1.011			
			20/1/3	0.117			
			20/1/4	1.011			
			20/2	2.000			
			25	0.336	0.336		
			26	0.906	0.906		
			27/1	0.244	0.244		
			27/2	3.129	3.129		
			27/3	0.247	0.247		
			28/1/1	0.492	0.492		
			28/1/2	0.728	0.728		
			28/2,29,30	0.823	0.823		
			28/3	1.234	1.234		
			31	0.045	0.045		
			32	0.093	0.093		
			33	0.251	0.251		
			34	0.380	0.380		
			35/1	0.056	0.056		
			35/2	0.014	0.014		
			36	0.376	0.376		
			37	0.117	0.117		

38	0.558	0.558
39	0.158	0.158
40	0.138	0.138
41	0.089	0.089
42,43	0.254	0.254
44	0.987	0.987
45	0.247	0.247
46	0.238	0.238
47	0.138	0.138
48	0.161	0.161
49/1	0.254	0.254
49/2	0.254	0.254
50/1	0.154	0.154
50/2	0.116	0.116
51/1	0.077	0.077
51/2	0.072	0.072
51/3	0.072	0.072
51/4	0.072	0.072
52	0.098	0.098
53	0.152	0.152
54/1	1.562	1.562
54/2/1	0.462	0.462
54/2/2	1.432	1.432
55/1	0.140	0.140
55/2	0.100	0.100
55/3	0.150	0.150
55/4	0.305	0.305
56	0.161	0.161
57/1	0.985	0.985
57/2	0.439	0.439
58	0.185	0.185
59	0.044	0.044
60	1.165	1.165
61	0.499	0.499
62/1	0.036	0.036
62/2	0.037	0.037
63	0.049	0.049
65	0.178	0.178
66	0.231	0.231
67	0.101	0.101
68	0.145	0.145
69	0.036	0.036

2024

70	0.065	0.065
71	0.016	0.016
72/1/1	0.202	0.202
72/1/2	0.546	0.546
73	0.327	0.327
74	0.259	0.259
75	0.551	0.551
76/1	0.292	0.292
76/2	0.100	0.100
76/3	0.106	0.106
77	0.117	0.117
78	0.158	0.158
79	0.121	0.121
80/1	0.341	0.341
80/2	0.341	0.341
80/3	0.342	0.342
82	0.040	0.040
83	0.045	0.045
85	1.137	1.137
86	0.717	0.717
87	0.561	0.561
88/1	0.085	0.085
88/2	0.085	0.085
88/3	0.085	0.085
89/1	0.058	0.058
89/2	0.058	0.058
89/3	0.058	0.058
90/1	0.075	0.075
90/2	0.076	0.076
90/3	0.076	0.076
91/1/1	0.128	0.128
91/1/2	0.106	0.106
91/2	0.161	0.161
93/1/1, 94/1/1	0.190	0.190
93/1/2, 94/1/2	0.137	0.137
93/2, 94/2	0.339	0.339
95/1/1	0.124	0.124
95/1/2	0.330	0.330
95/2	0.093	0.093
96/1	0.698	0.698
96/2	0.148	0.148
97	0.817	0.817

98	0.425	0.425
99	1.509	1.509
100	0.845	0.845
102/1	0.065	0.065
102/2	1.335	1.335
104	0.574	0.574
105/1	1.185	1.185
105/2/1	1.172	1.172
105/2/2	1.173	1.173
105/3	1.185	1.185
106	0.914	0.914
107/1,108,109,110, 117	0.405	0.405
107/2/1,108,109,110,117	0.405	0.405
107/2/2/1,107,108, 109, 110, 117	0.809	0.809
107/2/2/2, 108, 109, 110, 117	0.708	0.708
111/1	0.576	0.576
111/2	0.342	0.342
111/3	0.165	0.165
111/4	0.350	0.350
112	0.089	0.089
113	0.380	0.380
114/1	0.537	0.537
114/2	0.534	0.534
114/3	0.537	0.537
114/4/1/1	0.103	0.103
114/4/1/2	0.099	0.099
114/4/2	0.329	0.329
115	0.372	0.372
116/1	0.327	0.327
116/2	0.328	0.328
118/1	0.024	0.024
118/2	0.024	0.024
120/1	0.060	0.060
120/2	0.052	0.052
120/3	0.078	0.078
121/1, 129	0.764	0.764
121/2, 129	0.764	0.764

121/3, 129	0.764	0.764
121/4/1, 129	1.028	1.028
121/4/2, 129	0.311	0.311
121/4/3, 129	0.623	0.623
122/1	0.089	0.089
122/2	0.130	0.130
122/3	0.072	0.072
123	0.372	0.372
124/1/1	0.112	0.112
124/1/2	0.112	0.112
124/2	0.405	0.405
124/3/1,125/3	0.312	0.312
124/3/3,125/2	0.156	0.156
124/3/4	0.136	0.136
126/1	0.362	0.362
126/2	0.552	0.552
127	0.113	0.113
128	0.953	0.953
130/1	0.186	0.186
130/2	0.190	0.190
131	0.640	0.640
132/1	0.534	0.534
132/2	0.264	0.264
133	0.190	0.190
134/1	0.133	0.133
134/2	0.134	0.134
134/3	0.134	0.134
136/1	0.182	0.182
136/2	0.182	0.182
137/1	0.408	0.408
137/2	0.409	0.409
138/1	0.641	0.641
138/2/1	0.464	0.464
138/2/2	0.177	0.177
139/1	0.457	0.457
139/2	0.457	0.457
140/1	0.172	0.172
140/2	0.180	0.180
141/1/1	0.320	0.320
141/1/2	0.321	0.321
141/1/3	0.320	0.320
141/2/1	0.109	0.109

141/2/2	0.110	0.110
142/1	0.475	0.475
142/2/1	0.016	0.016
142/2/2	0.460	0.460
143/1	0.380	0.380
143/2	0.377	0.377
143/3/1	0.209	0.209
143/3/2	0.168	0.168
143/5	0.376	0.376
144/1	0.048	0.048
144/2	0.048	0.048
144/3	0.048	0.048
144/4	0.049	0.049
145	0.796	0.796
146/1	0.478	0.478
146/2/1	0.405	0.405
146/2/2/1	0.299	0.299
146/2/2/2	0.017	0.017
147	0.344	0.344
148	1.173	1.173
149/1	0.053	0.053
149/2	0.052	0.052
149/3	0.862	0.862
149/4	0.052	0.052
150/1	0.255	0.255
150/2	0.248	0.248
150/3	0.248	0.248
150/4/1	0.040	0.040
150/4/2	0.063	0.063
150/4/3	0.032	0.032
150/4/4	0.113	0.113
151	0.045	0.045
152/1	0.164	0.164
152/2	0.248	0.248
152/3	0.084	0.084
153/1	0.040	0.040
153/2	0.086	0.086
153/3	0.040	0.040
154/1	0.086	0.086
154/2	0.036	0.036
154/3	0.036	0.036
155/1	0.214	0.214

155/2	0.214	0.214
155/3	0.433	0.433
156/1	0.206	0.206
156/2	0.206	0.206
156/3	0.409	0.409
157/1	0.093	0.093
157/2	0.048	0.048
157/3	0.048	0.048
158/1	1.052	1.052
158/2	0.104	0.104
158/3	0.088	0.088
158/4	0.124	0.124
159/1	0.200	0.200
159/2	0.134	0.134
159/3/1	0.153	0.153
159/3/2	0.048	0.048
159/4	0.152	0.152
159/5	0.139	0.139
160/1/1/1	0.607	0.607
160/1/1/2	0.608	0.608
160/1/2	0.405	0.405
160/2/1	0.788	0.788
160/2/2	0.784	0.784
160/2/3	0.380	0.380
160/2/4	0.794	0.794
160/3	0.591	0.591
161/1	0.434	0.434
161/2	0.734	0.734
161/3/1	0.202	0.202
161/3/2/1	0.202	0.202
161/3/2/2	0.101	0.101
161/3/2/3	0.152	0.152
161/3/2/4	0.152	0.152
162/1/1	0.101	0.101
162/1/2	0.101	0.101
162/1/3	0.101	0.101
162/1/4	0.102	0.102
162/2/1	0.198	0.198
162/2/2	0.024	0.024
162/3	0.222	0.222
163/1, 164	0.292	0.292
163/2, 164	0.270	0.270



165	0.057	0.057
166	0.798	0.798
167/1	0.061	0.061
167/2	0.064	0.064
168	0.024	0.024
170/1	0.036	0.036
170/2	0.506	0.506
170/3	0.506	0.506
171/1	0.567	0.567
171/2	0.073	0.073
172/1	0.080	0.080
172/2	0.045	0.045
173/1	0.138	0.138
173/2	0.020	0.020
174/1	0.356	0.356
174/2	0.202	0.202
174/3	0.202	0.202
175/1	0.283	0.283
175/2	0.303	0.303
176/1	0.967	0.967
176/2/1	0.020	0.020
176/2/2	0.182	0.182
177	0.150	0.150
179/1	0.100	0.100
179/2	0.070	0.070
179/3	0.055	0.055
180	0.061	0.061
181/1	1.074	1.074
181/2	0.285	0.285
181/3	0.238	0.100
181/4	0.364	0.250
181/5	0.200	0.070
182/1	0.551	0.038
183/1	0.284	0.284
183/2	0.405	0.405
183/3	0.174	0.174
184/1	0.497	0.497
184/2	0.312	0.312
185/2	0.045	0.045
185/3,186	0.089	0.089
185/186/1	0.216	0.216
187	0.397	0.397

188/1	0.283	0.283
188/2	0.081	0.081
189/1	0.235	0.235
189/2	0.235	0.235
190/1	0.230	0.230
190/2	0.115	0.115
190/3	0.113	0.113
191	0.591	0.591
192	0.206	0.206
193	0.287	0.287
194	0.166	0.166
195	0.109	0.109
196	0.223	0.223
197/1	0.134	0.134
197/2	0.350	0.350
198/1	0.405	0.733
198/2	0.639	
199/1	0.489	0.487
199/2	1.617	
200/1	1.918	1.783
200/2	0.607	
201	0.263	0.263
202	0.340	0.340
203/1	0.796	0.796
203/2/1	0.391	0.391
203/2/2	0.405	0.405
204	0.024	0.024
205/1	0.202	0.202
205/2	0.045	0.045
207	0.308	0.308
208	0.680	0.680
209	0.384	0.384
210/1,391	0.303	0.303
210/2/1,391	0.194	0.194
210/2/2,391	0.028	0.028
210/3,391	0.218	0.218
210/4,391	0.303	0.303
211	0.105	0.105
212	0.049	0.049
213/1	0.101	0.101
213/2	0.251	0.251
214/1/1/1	0.0070	0.007

214/1/1/2	0.0070	0.007
214/1/1/3	0.0070	0.007
214/1/1/4	0.0070	0.007
214/2	0.074	0.074
214/3	0.040	0.040
215	0.032	0.032
216/1	0.037	0.037
216/2	0.037	0.037
216/3	0.039	0.039
217/1	0.110	0.110
217/2	0.109	0.109
217/3	0.109	0.109
218/1	0.434	0.434
218/2	0.435	0.435
218/3	0.434	0.434
219	0.219	0.219
220	1.368	1.368
221	2.449	2.449
222/1/1	0.089	0.089
222/1/2	0.093	0.093
222/2	0.182	0.182
223/1	0.263	0.263
223/2/1	0.263	0.263
223/2/2/1	0.012	0.012
223/2/2/2	0.008	0.008
224	0.142	0.142
225/1	0.032	0.032
225/2	0.033	0.033
226/1	0.093	0.093
226/2	0.097	0.097
227	0.024	0.024
228	0.081	0.081
229	0.036	0.036
230	0.045	0.045
232	0.040	0.040
233/1	0.219	0.219
233/2/1	0.271	0.271
233/2/2	0.271	0.271
234/1	0.117	0.117
234/2	0.118	0.118
235/1	0.215	0.215
235/2	0.060	0.060

	236	0.089	0.089
	237/1/1	0.153	0.153
	237/1/2	0.159	0.159
	237/2	0.405	0.405
	238/1	0.161	0.161
	238/2	0.130	0.130
	239	0.032	0.032
	240	0.089	0.089
	242/1, 243	0.985	0.985
	245	0.599	0.599
	246/1/1/1/1/1	0.213	0.213
	246/1/1/1/1/2	0.515	0.515
	246/1/1/1/1/3	0.515	0.515
	246/1/1/1/1/4	0.515	0.515
	246/1/1/1/1/5	0.124	0.124
	246/1/1/1/2	0.202	0.202
	246/1/1/2	0.405	0.405
	246/1/2	0.202	0.202
	246/2	0.445	0.445
	248/1	0.092	0.092
	248/2	0.109	0.109
	248/3	0.107	0.107
	248/4	0.109	0.109
	249/1	0.085	0.085
	249/2	0.086	0.086
	249/3	0.084	0.084
	249/4	0.086	0.086
	250/1	0.160	0.160
	250/2/1	0.218	0.218
	250/2/2	0.565	0.565
	251	0.117	0.117
	252/1	0.717	0.717
	252/2/1/1	0.042	0.042
	252/2/1/2	0.042	0.042
	252/2/1/3	0.042	0.042
	252/2/1/4	0.042	0.042
	252/2/2	0.663	0.663
	252/2/3	0.532	0.532
	252/3	0.794	0.794
	253/1	0.868	0.868
	253/2	0.868	0.868
	253/3/1	0.434	0.434

253/3/2	0.434	0.434
254	0.555	0.555
255/1	0.437	0.437
255/2	1.331	1.331
256/1	0.809	0.809
256/2	0.202	0.202
256/3	1.599	1.599
257/1	0.301	0.301
257/2	0.504	0.504
257/3	0.202	0.202
258	0.809	0.809
259	0.668	0.668
260	0.279	0.279
261	2.221	2.221
262/1	1.436	1.586
262/2/1	0.575	
262/2/2, 263, 264, 266	0.583	
262/2/3	0.587	
263	0.069	0.069
264/1	0.226	0.226
265/1	0.262	0.262
265/2	0.228	0.228
266	0.093	0.093
267	0.490	0.490
268	0.802	0.802
269	0.263	0.263
270	0.664	0.664
271/1	0.121	0.121
271/2	0.262	0.262
271/3	0.264	0.221
272	0.093	0.093
273/1	0.224	0.224
273/2	0.221	0.221
273/3	0.221	0.221
274	0.085	0.085
275	0.303	0.303
276	0.077	0.077
277/2	0.339	0.500
277/3	0.339	
277/4	0.303	
277/5	0.303	

277/6	0.101	
277/281/1	0.231	
278/1	0.113	0.040
278/2	0.199	
282, 281	0.409	0.409
283	0.409	0.409
284	1.168	1.168
285	0.129	0.129
286	0.061	0.061
288	0.049	0.049
290	0.061	0.061
291	0.024	0.024
292	0.061	0.056
293	0.316	0.115
294	1.185	0.075
295	0.954	0.954
296	1.206	0.700
298/1,299,300	0.777	
298/2, 298, 300	0.777	0.340
298/3, 299, 300	0.777	
298/4, 299, 300	0.777	
303/1	1.214	1.214
303/2	0.231	0.231
304	0.951	0.951
305/1	0.364	0.364
305/2	0.033	0.033
306	0.105	0.105
307	0.150	0.150
308/1	0.594	0.594
308/2	0.280	0.280
309	0.061	0.061
311/1	0.498	0.498
311/2	0.497	0.497
312/1	0.043	0.043
312/2	0.042	0.042
313	0.413	0.413
314	0.825	0.825
316/1	0.219	0.219
316/2	0.214	0.214
317/1	0.284	0.284
317/2	0.287	0.287
318	0.219	0.219

		320	1.416	1.416
		323/1	0.045	0.075
		323/2	0.496	
		324/1/2	0.202	0.137
		324/2/2	0.607	
		334/1/1, 334/2/1, 335/1/1, 336/1/1, 337/1/1	0.405	0.118
		334/1/2, 334/2/2, 335/2/1, 336/1/2, 337/1/2	0.405	
		334/1/3, 334/2/3, 335/1/3, 336/1/3, 337/1/3	0.405	
		334/1/2/1, 334/2/2, 335/2/1, 336/2/1, 337/1/1	0.309	
		334/1/2/2, 334/2/3, 335/2/3, 336/2/2, 337/1/2	0.308	
		334/1/2/3, 334/2/4, 335/2/4, 336/2/3, 337/3	0.353	
		334/1/4, 334/2/4, 335/4, 336/4, 337/4	0.380	
		334/1/5, 334/2/5, 335/2/5, 336/2/4, 337/4	0.262	
		378/1	0.312	1.350
		378/2	0.409	
		378/3	0.409	
		378/4	0.409	
		378/5	0.409	
		387/1/2/1	0.081	1.070
		387/1/2/2	0.081	
		387/1/2/3	0.081	
		387/1/2/4	0.081	
		387/3/3	0.081	
		387/388/3/3	0.081	
		387/388/1	0.688	

387/388/3/1	0.202	
389	0.530	0.026
392	0.384	0.015
400	0.332	0.033
401/1	0.061	0.130
401/2	0.121	
402	0.016	0.016
403	0.174	0.174
404	0.125	0.064
405/1	0.105	0.080
405/2	0.093	
468	1.202	0.060
469/1	0.967	0.950
469/2	1.254	0.250
478/1/1	0.809	0.140
478/1/2	0.858	
478/2/1	0.837	
478/2/2	0.473	
478/3/1/1	0.639	
478/3/2	0.567	
479	0.146	0.146
480	0.142	0.142
481	0.777	0.777
482	0.339	0.339
483/1/1	0.405	0.405
483/1/2	0.101	0.101
483/1/3	0.101	0.101
483/2	0.096	0.096
484	0.287	0.287
485/1	0.116	0.116
485/2	0.155	0.155
486/1	0.040	0.040
486/2	0.041	0.041
487/1	0.036	0.036
487/2	0.110	0.110
488/1	1.149	1.149
488/2	0.085	0.085
489/1	0.490	0.490
489/2	0.036	0.036
489/3	0.186	0.186
489/4	0.162	0.162
489/5	0.036	0.036



490	0.279	0.279
491/1	0.089	0.089
491/2	0.089	0.089
492/1	0.194	0.194
492/2	0.247	0.247
493/1/1	0.061	0.061
493/1/2	0.048	0.048
493/2	0.080	0.080
495/1	0.577	0.577
495/2	0.018	0.018
496, 497	0.680	0.680
498	0.555	0.555
499	0.761	0.761
500	4.290	4.290
501	0.097	0.097
502	1.380	1.380
503	0.0001	
504/1	0.121	0.121
504/2	0.368	0.368
504/3/1	0.053	0.053
505	0.028	0.028
506/1	0.479	0.479
506/2/1	0.237	0.237
506/2/2	0.243	0.243
507/1,508	0.643	0.643
507/2,508	0.322	0.322
507/3/1,508	0.161	0.161
507/3/2,508	0.161	0.161
509/1	1.421	1.421
509/2/1	1.811	1.811
509/2/2/1	1.117	1.117
509/2/2/2	0.085	0.085
509/2/2/3	0.247	0.247
509/2/2/4	0.248	0.248
509/2/2/5	0.114	0.114
510,512/1,512/2	1.031	1.031
511/1	0.134	0.134
511/2	1.134	1.134
513	0.109	0.109
514	0.045	0.045
516/1	0.376	0.376

516/2	0.101	0.101	
517	0.275	0.275	
518/1	0.405	3.975	
518/2	0.401		
518/3/1	0.495		
518/3/2	0.465		
518/3/3	0.445		
518/4	0.405		
518/5/1	0.817		
518/5/2	0.437		
518/6	1.256		
518/7/1	0.809		
518/7/2	0.401		
519/1/2	0.630		0.630
519/1/3	0.527		0.527
519/1/4	0.004		0.004
519/2	1.558	1.558	
520/1	0.198	0.100	
520/2	0.198		
522/1	0.253	0.253	
522/2	1.289	1.289	
524	0.084	0.084	
525/1	0.121	0.121	
525/1/1,525/1/3/2, 525/2/2	0.538	0.538	
525/1/2/3/3/1	0.049	0.049	
525/1/2/3/3/2	0.141	0.141	
526	0.189	0.189	
527	0.397	0.397	
528	0.073	0.073	
529/1/1	0.264	0.264	
529/1/2	0.607	0.607	
529/1/3	0.264	0.264	
529/2/1	0.458	0.458	
529/2/2	0.065	0.065	
530	0.895	0.895	
531	0.829	0.829	
532	0.220	0.220	
533	0.166	0.166	
534	0.069	0.069	
535	0.210	0.210	
537	0.036	0.036	

538	1.781	1.781
539	0.057	0.057
541	2.825	1.384
543, 544	0.124	0.100
545	0.073	0.073
547	0.012	0.012
550	1.728	0.088
554/1	0.489	0.041
554/2	0.489	
560	1.853	0.073
561	0.214	0.065
563	0.7	0.239
565	0.15	0.15
567/1	0.04	0.04
567/2	0.037	0.037
568/1	0.871	0.871
568/2	0.871	0.871
568/3	0.871	0.871
570	0.049	0.049
571	0.07	0.07
572	0.114	0.114
573/1	1.848	0.830
573/2	0.202	
573/3	0.202	
574/1	1.619	0.278
574/2	1.323	0.787
575	1.348	1.348
576/1	0.134	0.134
576/2	0.421	0.421
578	0.32	0.32
579	0.251	0.251
580	0.291	0.291
581	0.206	0.206
582/1	0.222	0.222
582/2	0.222	0.222
582/3	0.222	0.222
583/1	0.092	0.092
583/2	0.092	0.092
583/3	0.096	0.096
585/1	0.113	0.113
585/2	0.113	0.113
585/3	0.116	0.116

586/1	0.756	0.756
586/2	0.089	0.089
587	0.368	0.368
589	0.036	0.036
590	0.041	0.041
591	0.543	0.543
592	0.490	0.490
593	0.247	0.247
594	0.757	0.757
595	0.559	0.559
597/1	0.096	0.096
597/2	0.809	0.809
598	1.590	1.590
599/1/1	0.943	0.943
599/1/2	0.303	0.303
599/2/1	0.647	0.647
599/2/2	0.599	0.599
599/3/1	1.124	1.124
599/3/2	0.116	0.116
600/1	0.152	0.152
600/2	0.152	0.152
600/3/1	0.140	0.140
600/3/2	0.016	0.016
601/1	0.204	0.204
601/2	0.204	0.204
601/3	1.204	1.204
602/1	0.862	0.150
603/1	0.616	0.616
603/2	0.417	0.417
604/1	0.236	0.236
604/2/1	0.024	0.024
604/2/2	0.239	0.239
604/3	0.236	0.236
606/2/1, 607/1/1	4.400	4.400
606/2/2	0.001	0.001
606/2/3	0.178	0.178
606/3	0.405	0.405
606/4	0.405	0.405
610/1	0.777	
610/2/1	0.389	0.562
610/2/2	0.388	
611/1	0.381	0.851

611/2	0.196	
611/3	0.274	
611/4	0.321	
611/5	0.400	
612/1	0.477	0.477
612/2/1	0.208	0.208
612/2/2	0.208	0.208
612/2/3	0.208	0.208
612/2/4	0.208	0.208
613	0.129	0.129
614/1/1	0.202	0.202
614/1/2	0.405	0.405
614/2	0.161	0.161
615/1	0.008	0.008
615/2	0.020	0.020
615/3	0.231	0.231
616/1/1	0.073	0.073
616/1/2/1	0.206	0.206
616/1/2/2	0.352	0.352
616/2	0.072	0.072
616/3	0.352	0.352
617/1	0.331	0.331
617/2	0.093	0.093
618/1/1	0.146	0.146
618/1/2	0.146	0.146
618/1/3	0.146	0.146
618/1/4	0.146	0.146
619/1	0.866	0.866
619/2	0.339	0.339
619/3	0.405	0.405
619/4	0.364	0.364
619/5	0.178	0.178
619/6	0.227	0.227
621/1	0.809	
621/2	0.484	0.082
622	0.810	0.012
623/1	1.205	
623/2/1	0.320	1.210
623/2/2	0.040	
624/1	0.389	0.389
624/2	0.389	0.389
624/3	0.554	0.554

624/2	0.389	0.389
624/3	0.554	0.554
625/1	0.220	0.220
625/2	0.221	0.221
627/1	0.234	0.287
627/2	0.235	
627/3	0.235	
628/1	0.086	0.006
628/2	0.086	
628/3	0.087	
629/1	0.071	0.018
629/2	0.072	
629/3	0.071	
744/519	0.109	0.109
745/80	0.146	0.146
754/535	0.049	0.049
765/535	0.105	0.105
757/207	0.101	0.101
766/245	0.280	0.280
776/634	0.364	0.364
777/132	0.142	0.142
778/132	0.340	0.340
761/148/1	0.716	0.716
761/148/2	0.720	0.720
762/182	0.243	0.161
763/207	0.040	0.040
779/387/1	0.113	0.113
779/387/2	0.049	0.049
कुल किता :-	822	300.951 254.053

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बेगमगंज में देखा जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
अरविन्द कुमार दुबे, कलेक्टर एवं समुचित सरकार.

## वन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 27 दिसम्बर 2023

क्रमांक/2328/आर-1733045/2023/10-3 :: चूंकि राज्य सरकार न मध्यप्रदेश राजपत्र भाग (1) दिनांक 21.05.1971 में प्रकाशित इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 1988 दिनांक 17.04.1971 द्वारा, भारतीय वन अधिनियम, 1927 (क्रमांक 16, सन् 1927), की धारा 4 के अधीन नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट की गई भूमि को आरक्षित वन बनाने का अपना आशय घोषित किया था।

और चूंकि उससे संबंधित समस्त दावे इस प्रयोजन के लिये नियुक्त किये गये वन व्यवस्थापन अधिकारी द्वारा निपटाये जा चुके हैं और विधि द्वारा अपेक्षित अन्य समस्त औपचारिकताएँ पूर्ण की जा चुकी हैं।

अतएव, भारतीय वन अधिनियम, 1927 (क्रमांक 16, सन् 1927) की धारा 20 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार एतद् द्वारा निम्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट की गई भूमि को आरक्षित वन घोषित करती है। यह भूमि मध्यप्रदेश राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के दिनांक से आरक्षित वन मानी जायेगी। यह वनखण्ड N 24<sup>0</sup> 18' 45.00" से N 24<sup>0</sup> 19' 30.00" उत्तर अक्षांश तथा E 079<sup>0</sup> 07' 30.00" से E 079<sup>0</sup> 08' 15.00" पूर्व देशांश के बीच स्थित है।

### अनुसूची

जिला - सागर

वनमंडल - उत्तर सागर (सा.)

तहसील - शाहगढ़

वन परिक्षेत्र - शाहगढ़

क्र.	आरक्षित वनखण्ड	पटवारी हल्का क्रमांक/ वन परिसर	ग्राम/ संरक्षित वनखण्ड	खसरा क्रमांक/ संरक्षित वन कक्ष क्रमांक	यदि राजस्व भूमि है तो उसका मद	यदि संरक्षित वन है तो उसकी अधिसूचना का क्रमांक और दिनांक तथा राजपत्र प्रकाशन का दिनांक	क्षेत्रफल (हेक्टेयर)	सीमाएं
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	शाहगढ़-ब	37(पुराना) 21(नया)	शाहगढ़ (पी.एफ. 497)	1429	-	10-x-58 दिनांक 10.07.1958 प्रकाशन दिनांक 10.07.1958	27.45	उत्तर :- आरक्षित वनखण्ड शाहगढ़ का मुनारा नं. 231 से 230 तक। पूर्व :- आरक्षित वनखण्ड शाहगढ़ का मुनारा नं. 230 से होते हुए प्रस्तावित आरक्षित वनखण्ड के मुनारा नं. 33 से 26 तक एवं आरक्षित वनखण्ड शाहगढ़ के 226 से 220 तक वनसीमा। दक्षिण :- आरक्षित वनखण्ड शाहगढ़ का मुनारा नं. 220 से 218 से होते हुये प्रस्तावित आरक्षित वनखण्ड के मुनारा नं. 25 से 13 तक एवं आरक्षित वनखण्ड शाहगढ़ के मुनारा नं. 214 से 215 तक। पश्चिम :- आरक्षित वनखण्ड शाहगढ़ का मुनारा नं. 215 से होते हुए प्रस्तावित वनखण्ड के मुनारा नं. 12 से 01 एवं आरक्षित वनखण्ड का मुनारा नं. 231 तक।
2				1428			0.45	
3				1416/1			3.34	
4				1416/2			8.84	
5				1336			2.43	
6				1337			2.14	
7				1417/2			0.85	
8				1423			9.65	
योग (वनखण्ड का क्षेत्रफल) -				08			55.15	वनखण्ड का आंतरिक सीमा उत्तर :- मुनारा नं. 01 से 04 तक। पूर्व :- मुनारा नं. 04 से 03 तक। दक्षिण :- मुनारा नं. 03 से 02 तक। पश्चिम :- मुनारा नं. 02 से 01 तक।

भोपाल, दिनांक 27 दिसम्बर 2023

क्रमांक-2328-आर-1733045-2023-दस-3.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक-2328-आर-1733045-2023-दस-3 दिनांक 27 दिसम्बर 2023 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
अशोक कुमार, अपर सचिव.

Bhopal, the 27<sup>th</sup> December, 2023

No./2328/R-1733045//2023/10-3 :: Where as, by this department Notification No.- 1988 Date 17-04-1971 published in Madhya Pradesh Gazette, dated 21-05-1971 the State Government, under section 4 of the Indian Forest Act. 1927 (No. XVI of 1927), had declared its intention to constitute the land specified in the schedule below as Reserved Forest.

And whereas, all claims related to the same have been settled by the Forest Settlement Officer appointed for the purpose and all other formalities required by law have been completed.

Now, therefore in exercise of the powers conferred by sub section (1) of section 20 of the Indian Forest Act (No.XVI of 1927), the State Government hereby declares the land specified in the Scheduled below to be a Reserved Forest with effect from the date of publication of the notification in the Madhya Pradesh Gazette. This Forest Block lies between N 24<sup>0</sup> 18' 45.00" to N 24<sup>0</sup> 19' 30.00" North Latitude and E 079<sup>0</sup> 07'30.00" to E 079<sup>0</sup> 08' 15.00" East Longitude.

**SCHEDULE**

**District - Sagar**  
**Forest Division - North Sagar (T.)**

**Tehsil - Shahgarh**  
**Forest Range - Shahgarh**

S.No.	RF Block	Patwari Halka No./ Forest Beat	Village/ PF Block	Khasra No./ PF Compartment	If Revenue Land the Head of the Land	If Protected Forest then its Notification Number and Date with Gazette publication Date	Area (Hectare)	Boundaries
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Shahgarh - B	37(old) 21(new)	Shahgarh (PF 497)	1429	-	10-x-58 Dated 10-07-1958, Gazette Publication Date 10-07-1958	27.45	<b>North :-</b> Reserved Forest Block Shahgarh pillar no. 231 to 230 <b>East :-</b> Through Reserved Forest Block Shahgarh pillar No. 230 to Proposed Reserved Forest Block pillar no. 33 to 26 and Reserved Forest Block Shahgarh pillar no. 226 to 220 Forest Boundaries
2				1428			0.45	
3				1416/1			3.34	
4				1416/2			8.84	
5				1336			2.43	
6				1337			2.14	
7				1417/2			0.85	
8				1423			9.65	



									<b><u>South :-</u></b> Through Reserved Forest block Shahgarh pillar no. 220 to 218 Proposed Reserved Forest Block pillar no. 25 to 13 and Reserved Forest Block Shahgarh pillar no. 214 to 215
									<b><u>West :-</u></b> Through Reserved Forest Block Shahgarh pillar no. 215 to Proposed Forest Block pillar no. 12 to 01 and Reserved Forest Block pillar no. 231
									<b><u>Internal Boundaries of Forest Block</u></b>
									<b><u>North :-</u></b> Pillar no. 01 to 04
									<b><u>East :-</u></b> Pillar no. 04 to 03
									<b><u>South :-</u></b> Pillar no. 03 to 02
									<b><u>West :-</u></b> Pillar no. 02 to 01
<b>Total (Area of Forest Block) -</b>				<b>08</b>				<b>55.15</b>	

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,  
**ASHOK KUMAR**, Add. Secy.

## न्यायालय, कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, विदिशा मध्यप्रदेश

क्र.-क्यू-3-SW-2023-16971

विदिशा, दिनांक 22 दिसम्बर 2023

दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (1974 का सरल क्रमांक-2) की धारा-2 के खण्ड एस, एवं शासन के आदेश क्रमांक/एफ-2/(क)/15/99/बी-3/दो दिनांक 11.10.2004 तथा शासन के पत्र क्रमांक/एफ-2/(क)/9/08/बी-3/दो दिनांक 30.07.2010 द्वारा कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, तथा जिला अभियोजन अधिकारी की गठित जिलास्तरीय समिति को प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, समिति की आयोजित बैठक दिनांक 21.12.2023 में लिये गये निर्णय के परिप्रेक्ष्य में अधोलिखित सारणी में विनिर्दिष्ट क्षेत्रों को प्रभावित करने वाली पूर्व की अधिसूचना में आंशिक उपान्तरण करते हुये, राज्य शासन द्वारा निम्नांकित क्षेत्रों को सम्मिलित करते हुये युक्तियुक्तकरण उपरांत थाना गंजबासौदा शहर एवं थाना गंजबासौदा देहात में सीमाओं का पुर्ननिर्धारण मध्यप्रदेश राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने की तारीख से -

एक	नीचे दी सारणी के कॉलम (1) में उल्लेखित पुलिस थाने से उसके (सारणी के) कॉलम(2) में विनिर्दिष्ट स्थानीय क्षेत्रों को अपवर्जित करते है।
दो	सारणी के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट स्थानीय क्षेत्रों को सारणी के कॉलम (3) में उल्लेखित पुलिस थाने में सम्मिलित करती है।

1

### सारणी

पुलिस थाने का नाम (तहसील तथा जिला सहित) जिसमें से अपवर्जित किया गया है।	स्थानीय क्षेत्र			पुलिस थाने का नाम (तहसील तथा जिला सहित) जिसमें से सम्मिलित किया गया है।
	ग्राम/मोहल्ले का नाम एवं बंदोवस्त एवं वार्ड क्रमांक			
(1)	(2)			(3)
पुलिस थाना गंजबासौदा शहर जिला विदिशा	स.क्र.	ग्राम/मोहल्ले का नाम	बंदोवस्त न.	पुलिस थाना गंजबासौदा देहात जिला विदिशा
	1	अम्बानगर		
	2	जरोद		
	3	पडरिया		
	4	मालीखेडी		
	5	शिवरामपुर		
	6	हरगनाखेडी		
	7	उकायला		
	8	बांकागढ		
	9	थनवाय		
	10	मेहरा		
	11	मलकपुर		
	12	करैया		
	13	पबई बरी		
14	मेहमूदा			

पुलिस थाना गंजबासौदा शहर जिला विदिशा	15	आसठ		पुलिस थाना गंजबासौदा देहात जिला विदिशा
	16	ऊहर		
	17	मसूदपुर		
	18	जाजोन मिपरिया		
	19	बीलाढाना		
	20	पिपरिया		
	21	रोजरू		
	22	बिलवाय		
	23	नंदपुरा		
	24	मांगरोद		
	25	बोथीघाट		
	26	सकरोली		
	27	निबोदिया		
	28	कुरावद		
	29	बेरखेडी		
	30	पिपरियाघाट		
	31	खरथरी		
	32	आगासोद		
	33	चंद्रापुर		
	34	तामोस		
	35	मुटरा		
	36	किरवाया		
	37	बिजरोटा		
	38	बनवासा		
	39	हरनाखेडी		
	40	गोहची		
	41	अरनोट		
	42	ककरूआमोदन		
	43	ग्रहणी		
	44	जरोदी खेडी		
	45	कजरियाई		
	46	हरिपुर		
	47	गंज		
	48	रजोदा टपरिया		
	49	बेदनखेडी		
	50	नसीदपुर		
	51	चौरावर		
	52	जेलरोड		
	53	राजेन्द्र नगर		
	54	पठारपुरा		
	55	सदरबाजार		
	56	मिर्जापुर		
	57	नामदेव कालोनी		
	58	पचमा रोड		
	59	गाँधी चौक		

पुलिस थाना गंजबासौदा शहर जिला विदिशा	60	चूडी मोहल्ला		पुलिस थाना गंजबासौदा देहात जिला विदिशा
	61	वुढापुरा		
	62	सिरोंज चौराहा		
	63	तिरंगा चौक		
	64	ईदगाह रोड		
	65	पन्डा पुरा		
	66	सिख मोहल्ला		
	67	पारासरी नदी के पश्चिम का क्षेत्र		
	68	पचमा		
	69	गमाखर		
	70	मुडरा खलील		
	71	भदावसा		
	72	कानीखेडी		
	73	भसूडा		
	74	सेमरी		
	75	भर्चा पचमा		
	76	छोटी मुडिया		
	77	नगरीय क्षेत्र वार्ड नंबर 15, 16,17,18,19,20,21,22,23		
पुलिस थाना गंजबासौदा देहात जिला विदिशा	स.क्र.	ग्राम/मोहल्ले का नाम	बंदोवस्त न.	पुलिस थाना गंजबासौदा शहर जिला विदिशा
	1	पारासरी नदी के पूर्व का समस्त क्षेत्र बरेठ रोड, त्योंदा रोड, रेल्वे स्टेशन, नगरपालिका क्षेत्र		
	2	इमलिया		
	3	खिरिया		
	4	जुगयाई		
	5	सिरावदा		
	6	खडाखेडी		
	7	बत्तीसा		
	8	सुनार		
	9	मुरादपुर		
	10	छीपनी		
	11	ठरका		
	12	बिरकावली		
	13	हतोडा		
	14	कुल्हार		
	15	सगदपुर		
	16	उदयपुर		
	17	बेहटा		
	18	साहबा		
	19	टीकोद		
	20	बरेठ		
21	कंजना			

पुलिस थाना गंजबासौदा देहात जिला विदिशा	स.क्र.	ग्राम/मोहल्ले का नाम	बंदोवस्त न.	पुलिस थाना गंजबासौदा शहर, जिला विदिशा
	22	छोटा सिरावदा		
	23	राउखेडी		
	24	बडवासा		
	25	झिलीपुर		
	26	भाटनी		
	27	आकाडोडा		
	28	कथरी		
	29	तवकलपुर		
	30	छुलैटा		
	31	बघरु		
	32	बुचाखेडी		
	33	रबरयाई		
	34	काजी किरौदा		
	35	पुरवाई चक्क		
	36	फतेहपुर		
	37	डिडोली		
	38	खुरसेनी		
	39	पोनिया		
	40	भडिया		
	41	सिरावदा बडा		
	42	डाबर		
	43	नरोदा		
	44	बेरखेडी		
	45	बरोदिया		
	46	दाउद बासौदा		
	47	लहदरा		
	48	भुआरा		
	49	देवीपुर		
	50	सनाई		
	51	पिपरिया जाजोन		
	52	बिरकावली		
	53	भुआरा जागीर		
	54	बावली		
	55	बांकची		
	56	किश्नोदा		
	57	ढिमरोली		
	58	पिपरिया जाफराबाद		
	59	सत्ताखेडी		
	60	लमन्धा		
	61	औरंगपुर		
	62	ककरावदा		
	63	बालराकला		
	64	फरीदपुर डायला		
	65	मढिया दाखली		

पुलिस थाना गंजबासौदा देहात जिला विदिशा	स.क्र.	ग्राम/मोहल्ले का नाम	बंदोवस्त न.	पुलिस थाना गंजबासौदा शहर, जिला विदिशा
	66	नेगमा पिपरिया		
	67	मोरोदा		
	68	कला खेडी		
	69	मेवली		
	70	मूडरा		
	71	स्यारी		
	72	बेतोली		
	73	जीवाजीपुर		
	74	कमलपुर		
	75	बालराखुर्द		
	76	गजनई पडरई		
	77	जसियाखेडा		
	78	बसरिया सेमरा		
	79	नगरीय क्षेत्र वार्ड नंबर 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14		

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
उमाशंकर भार्गव, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

विदिशा, दिनांक 22 दिसम्बर 2023

क्र.-क्यू-3-SW-2023-16972 - भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड 3 के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र.-क्यू-3-SW-2023-16971, दिनांक 22 दिसम्बर 2023 के द्वारा अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
उमाशंकर भार्गव, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

No- Q-3-SW-2023-16971

Vidisha, the 22<sup>nd</sup> December 2023

In exercise of the powers conferred by clause(s) section 2 of the code of Criminal procedure; 1973(No 2 of 1947) and Madhya Pradesh Home(Police) Department order number F-2(K) 15/99/B-3/two dated 11/10/2004 and number F-2(K) 9/08/B-3/two dated 30/07/2010 in compliance with decisions taken by the power conferred to Committee of the District Collector/SP/DPO. in Meeting Dated 21st, December 2023 in partial modification of the previous notification after rationalization in the specified local areas comprised in respective police station mentioned in the Table below The State Government hereby notifies Police Station **GanjBasoda Dehat & GanjBasoda City** Comprising the areas specified below with effect from date of publication of this notification in the Madhya Pradesh Gazette-

1	Exclude from the police station mentioned in column (1) of the table below the local areas specified in column (2) there of and.
2	Includes the local areas specified in column (2) of the said table in the police station mentioned in column (3) of the said table.

TABLE

Name of police station (with tehsil and dist.) from which excluded	LOCAL AREA			Name of police station (with tehsil and dist.) from which included
	Name of Villages, and Settlement No, Ward No			
(1)	(2)			(3)
Police station Ganjbasoda city district vidisha	S.No	Name of Villages /Mohalla	Settlement, No	Police Station Dehat Ganjbasoda district vidisha
	1	Ambanagar		
	2	Jarod		
	3	Padariya		
	4	Malikhedi		
	5	Shivrampur		
	6	Harganakhedi		
	7	Ukayala		
	8	BankaGad		
	9	Thanvaya		
	10	Mehra		
	11	Malakpur		
	12	Karaiya		
	13	Pavaibarro		
	14	Mehmuda		
	15	Aasath		
	16	Uhar		
	17	Masudpur		
	18	Jajon pipariya		
	19	Biladhana		
	20	Pipariya		
	21	Rojru		
22	Bilwaya			

Name of police station (with tehsil and distt.) from which exciuded	LOCAL AREA			Name of police station (with tehsil and distt.) from which included
	Name of Villages, and Settlement No, Ward No			
(1)	(2)			(3)
Police station Ganjbasoda city district vidisha	S.No	Name of Villages /Mohalla	Settlement, No	Police Station Dehat Ganjbasoda district vidisha
	23	Nandupura		
	24	Mangrod		
	25	Bothighat		
	26	Sakroli		
	27	Nibodiya		
	28	Kurwad		
	29	Berkhedi		
	30	Pipariyaghat		
	31	Kharthari		
	32	Aagasaod		
	33	Chandrapur		
	34	Tamos		
	35	Muttra		
	36	Kirwaya		
	37	Bijrotha		
	38	Banwasa		
	39	Harnakhedi		
	40	Gohchi		
	41	Arnot		
	42	Kakruamodan		
	43	Grahni		
	44	Jarodi khedi		
	45	Kajriyai		
	46	Haripur		
	47	Ganj		
	48	Rajoda Tapariya		
	49	Bedankhedi		
	50	Nasidpur		
	51	Choravar		
	52	Jail road		
	53	Rajendra Nagar		
	54	Patharpura		
	55	Sadarbajar		
	56	Mirjapur		
	57	Namdev colony		
	58	Panchma Road		
	59	Gandhi Chok		
	60	Chudi Mohalla		
	61	Budapura		
	62	Sironj Choraha		
	63	Tiranga Chok		
	64	Iedgaha Road		
	65	Panda pura		
66	Sikha Mohalla			



Name of police station (with tehsil and distt.) from which excluded	LOCAL AREA			Name of police station (with tehsil and distt.) from which included
	Name of Villages, and Settlement No, Ward No			
(1)	(2)			(3)
Police station Ganjbasoda city district vidisha	S.No	Name of Villages /Mohalla	Settlement, No	Police Station Dehat Ganjbasoda district vidisha
	67	West area of Parasari river		
	68	Pachma		
	69	Gamakhar		
	70	Mundra Khalil		
	71	Bhadavasa		
	72	Khanikhedi		
	73	Bhasuda		
	74	Semri		
	75	Bharcha Pachma		
	76	Chhoti Mudiya		
77	Nagar Palika Basoda Ward no-15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23			
Police Station Dehat Ganjbasoda district vidisha	S.No	Name of Villages /Ward	Settlement, No	Police station Ganjbasoda city district vidisha
	1	All East area of Parasari river, Bareth road, Tyonda road, Railway station, Nagar Palika Area		
	2	Imaliya		
	3	Khiriya		
	4	Jugyai		
	5	Sirawda		
	6	Khadakedi		
	7	Battisa		
	8	Sunar		
	9	Muradpur		
	10	Cheepni		
	11	Tharka		
	12	Viskawali		
	13	Hathoda		
	14	Kulhar		
	15	Samadpur		
16	Udaypur			

Name of police station (with tehsil and distt.) from which exciuded	LOCAL AREA			Name of police station (with tehsil and distt.) from which included
	Name of Villages, and Settlement No, Ward No			
(1)	(2)			(3)
Police Station Dehat Ganjbasoda district vidisha	S.No	Name of Villages /Ward	Settlement, No	Police station Ganjbasoda city district vidisha
	17	Behata		
	18	Sahava		
	19	Tikod		
	20	Baretha		
	21	Kanjana		
	22	Chhota Siravda		
	23	Raukhedi		
	24	Badwasa		
	25	Jhilipur		
	26	Bhatni		
	27	Akadoda		
	28	Kathari		
	29	Tavkalpur		
	30	Chhuleta		
	31	Vagharru		
	32	Buchhakhedi		
	33	Ravaryai		
	34	Kaji kiroda		
	35	Purwai Chakka		
	36	Fatepur		
	37	Didoli		
	38	Khurseni		
	39	Poniya		
	40	Bhadiya		
	41	Siravda Bada		
	42	Dabar		
	43	Naroda		
	44	Berkhedi		
	45	Barodiya		
	46	Daud Basoda		
	47	Lehadara		
	48	Bhuwara		
	49	Devipur		
	50	Sanai		
	51	Pipariya Jajon		
	52	Bhiskawali		
	53	Bhuwara Jageer		
	54	Bavali		
	55	Bagchi		
	56	Kishanoda		
	57	Dhimroli		
	58	Pipariya Jafarawda		
	59	Sattakhedi		

Name of police station (with tehsil and distt.) from which exciuded	LOCAL AREA			Name of police station (with tehsil and distt.) from which included
	Name of Villages, and Settlement No, Ward No			
(1)	(2)			(3)
Police Station Dehat Ganjbasoda district vidisha	s.no	Name of Villages,	Settlement, No	Police station Ganjbasoda city district vidisha
	60	Lamanya		
	61	Orangpur		
	62	Kakravda		
	63	Balrakala		
	64	Faridpur Dayla		
	65	Madiya Dakhali		
	66	Negma Pipariya		
	67	Moroda		
	68	Kalakhedi		
	69	Mevli		
	70	Mudra		
	71	Syari		
	72	Betoli		
	73	Jivajipur		
	74	Kamalpur		
	75	Balrakhurd		
	76	Gajnai Padariya		
	77	Jasiyakheda		
	78	Basriya Semra		
	79	Nagar Palika Basoda Ward no-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14		

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,  
**UMASHANKAR BHARGAV**, Collector & Ex-officio Dy. Secy.